UPGK010072642023

न्यायालय अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01, गोरखपुर।

उपस्थित- उमेश चन्द्र पाण्डेय-II (उच्चतर न्यायिक सेवा) UP6066

चुनाव याचिका संख्या- 08/2023

कुसमावती देवी पत्नी शिवदास यादव, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, गाहासाड़ प्रथम, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

..................याचिनी

बनाम

1. प्रियंका सिंह पत्नी विनय कुमार, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, गाहासाड़ प्रथम, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

....................विपक्षी प्रथम पक्ष।

2. उर्मिला देवी पत्नी रवि प्रताप नारायण सिंह, निवासिनी- वार्ड नंबर-15, गाहासाड़, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

3. उषा पत्नी विन्जन सिंह, निवासिनी- वार्ड नंबर-15, गाहासाड़, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

4. गीता पत्नी राजकुमार, निवासिनी- वार्ड नंबर-2 बोक्टा, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

5. नसीबुननिशा पत्नी आजम अली, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, गाहासाड़ प्रथम, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

6. बेबी पत्नी शिवशंकर, निवासिनी- वार्ड नंबर-15, गाहासाड़, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

7. लालमती पत्नी पन्नेलाल, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, गाहासाड़ प्रथम, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

8. सुधा पत्नी सुरेन्द्र सिंह, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, गाहासाड़ प्रथम, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

9. सविता सिंह पत्नी रामसतीश सिंह, निवासिनी- वार्ड नंबर-12, केशोपुर, पोस्ट- सहजनवां, तहसील व नगर पंचायत- सहजनवां, जिला- गोरखपुर।

..........................विपक्षीगण द्वितीय पक्ष।

10. जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एवं न०नि०)/जिला मजिस्ट्रेट, गोरखपुर।
11. रिटर्निंग आफिसर/उपजिलाधिकारी, सहजनवां, गोरखपुर, श्री सुरेश राय।

12. सहायक रिटर्निग आफिसर/नायब तहसीलदार, सहजनवां, गोरखपुर, श्री अमित कुमार सिंह।

....................विपक्षीगण तृतीय पक्ष।

निर्णय

याचिनी कुसमावती देवी द्वारा प्रस्तुत चुनाव याचिका धारा 19 उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 के अंतर्गत विपक्षीगण प्रियंका सिंह व अन्य के विरूद्ध नगर पंचायत सहजनवां, जिला- गोरखपुर के वार्ड नंबर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद के निर्वाचन हेतु हुए चुनाव दिनांकित 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों की नियमानुसार पुनर्मतगणना कराकर पुनर्मतगणना के आधार पर उस पद पर याचिनी को निर्वाचित घोषित करने तथा विपक्षी संख्या-01 प्रियंका सिंह को नगर पंचायत सहजनवां, गोरखपुर के वार्ड नं०-12 गाहासाड़ प्रथम सदस्य पद पर निर्वाचित किये जाने संबंधी रिटर्निग आफिसर/उपजिलाधिकारी, गोरखपुर श्री सुरेश राय/विपक्षी संख्या-11 द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.05.2023 निरस्त किये जाने व अन्य अनुतोष हेतु प्रस्तुत किया गया है।

प्रस्तुत मामले में याचिनी का संक्षेप में तथ्य यह है कि राज्य निर्वाचन आयुक्त उ०प्र० द्वारा उ०प्र० शासन के नगर विकास की अधिसूचना संख्या-971/09.01.2023-104 निर्वाचन/17 दिनांक 09.04.2023 एंव संख्या-972/9-1/2023-104 निर्वाचन/17 दिनांक-09.04.2023 के क्रम में भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243 तथा उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम 1959 की धारा- 45 एंव उ०प्र० नगरपालिका अधिनियम-1916 की धारा-13 ख के तहत प्राप्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिसूचना पत्रांक-206/ रा०नि०आ०अनु0-4/ न०नि०/2023 लखनउ दिनांक-09 अप्रैल-2023 द्वारा उ०प्र० के समस्त जिलों के नगर निगमों, नगर पालिका पारिषदों तथा नगर पंचायतों के महापौरो, पार्षदों, अध्यक्षो तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु समय सारणी एंव संलग्न चरणों का विवरण जारी करते हुए चुनाव कराये जाने का निर्देश दिया, जिसके क्रम में जनपद गोरखपुर को प्रथम चरण में रखते हुए उसके नगर निगम, नगर पालिका परिषदों एंव नगर पंचायतों के महापौरों, अध्यक्षों तथा सदस्यों के सामान्य निर्वाचन हेतु जिला मजिस्ट्रेट/जिला निर्वाचन अधिकारी (पंचायत एंव न० नि०) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक 10.04.2023 (सोमवार) व निर्वाचन अधिकारी (न०नि०) द्वारा सार्वजनिक सूचना निर्गत करने का दिनांक-11.04.2023 (मंगलवार) एंव नाम निर्देशन पत्रों के क्रय व जमा करने का अंतिम दिनांक व समय दिनांक-11.04.2023 से 17.04.2023 तक (पूर्वान्ह 11 बजे से 03 बजे तक), अभ्यर्थन की वापसी का दिनांक व समय 20.04.2023 (गुरुवार) (पूर्वान्ह 11 बजे से 03 बजे तक), प्रतीक आवंटन का दिनांक व समय 11.04.2023 (शुक्रवार) (पूर्वान्ह 11 बजे से कार्य की समाप्ति तक), मतदान का दिनांक व समय 04.05.2023 (गुरुवार) (पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 06 बजे तक), मतगणना का दिनांक व समय 13.05.2023 (शनिवार) (पूर्वान्ह 8 बजे से कार्य की समाप्ति तक), निर्धारित करते हुए जारी किया गया। नगर पंचायत सहजनवा, जनपद-गोरखपुर के सदस्य पद हेतु याचिनी ने निर्दल उम्मीदवार की हैसियत से तथा विपक्षी संख्या-1 निर्दल

उम्मीदवार की हैसियत से तथा विपक्षी संख्या 2 ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से व विपक्षी संख्या-3 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से व विपक्षीगण 4 ता 9 ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने-अपने नामांकन पत्र जमा किया और इन सभी लोगो के नामांकन पत्र वैध घोषित किये गये। चुनाव चिन्ह याचिनी को उगता सूरज' व विपक्षी संख्या-1 को खड़ाउ व विपक्षी संख्या-2 को 'कमल का फूल व विपक्षी संख्या-3 को "झाडू" तथा विपक्षी संख्या-4 को आम, एंव विपक्षी संख्या-5 को अनाज ओसाता हुआ किसान तथा विपक्षी संख्या-6 को छाता व विपक्षी संख्या-7 को कार एव विपक्षी संख्या-8 को इमली व विपक्षी संख्या 9 को कुर्सी प्रतीक/चुनाव चिह्न 21.04.2023 को आवंटित किये गये। नगर पंचायत सहजनवा के अध्यक्ष व सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि दिनांक-04.05.2023 पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक निर्धारित की गयी, और उस चुनाव हेतु नगर पचायत सहजनवा के कुल 16 वार्ड के कुल मतदाताओं की संख्या- 34,699 प्रकाशित की गयी। जिसमें महिला मतदाओं के मतदान का प्रतिशत 68.41 प्रतिशत होना व कुल 22412 मतदाताओं द्वारा अपने मतदान का प्रयोग किया जाना दर्शित किया गया। याचिनी व विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष तथा विपक्षीगण 2 ता 9 द्वितीय पक्ष नगर पंचायत सहजनवां के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम से सदस्य पद के उम्मीदवार उपरोक्त चुनाव में रहे है। नगर पंचायत सहजनवां के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु जो निर्वाचक नामावली-2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम की जारी हुई, उसके भाग-26 पृष्ठ संख्या 7 के क्रम संख्या-47 पर अंकित निर्मला यादव, क्रम संख्या-97 पर अंकित पवन कुमार, क्रम संख्या-98 पर अंकित निशा सिंह, क्रम संख्या-121 पर अंकित प्रदीप कुमार, क्रम संख्या-136 पर अंकित अशोक कुमार, क्रम संख्या-143 पर अंकित रविन्द्र, क्रम संख्या-158 पर अंकित बालगोविन्द, क्रम संख्या-162 पर अंकित सीमा, क्रम संख्या-192 पर अंकित रामस्वरूप, क्रम संख्या-332 पर अकित लल्लन यादव, क्रम संख्या-335 मीरा देवी, क्रम संख्या-375 पर अंकित रविन्द्र यादव, क्रम संख्या-377 पर अंकित सुनीता, क्रम संख्या-464 पर अंकित प्रेमशीला, क्रम संख्या-469 पर अंकित सत्येन्द्र यादव, क्रम संख्या-470 पर अंकित मुन्नी क्रम संख्या-491 पर अंकित सत्यवान यादव व उपरोक्त निर्वाचक नियमावली भाग संख्या-26 के पृष्ठ 8 के क्रम संख्या-582 पर अंकित मनोज, क्रम संख्या-583 पर अंकित बृजेश, क्रम संख्या-680 पर अंकित राकरन यादव, क्रम संख्या-743 पर अंकित इन्द्रजीत चौधरी का नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दिया गया था और नगर पंचायत सहजनवां निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम भाग संख्या 27 के क्रम संख्या-164 पर अंकित सीमा देवी, क्रम संख्या- 198 पर अंकित प्रेमनाथ, क्रम संख्या-201 पर अंकित सोमनाथ शर्मा, क्रम संख्या-263 पर अंकित प्रेमनाथ, क्रम संख्या-267 पर अंकित पवन, क्रम संख्या-268 पर अंकित रीना, क्रम संख्या-272 पर अंकित विपिन झा, क्रम संख्या-284 पर अंकित बब्लू, क्रम संख्या-285 पर अंकित ममता, क्रम संख्या-524 पर अंकित मुनीब, क्रम संख्या-528 पर अंकित कमलेश, क्रम संख्या-531 पर अंकित धर्मेन्द्र, क्रम संख्या-533 पर अंकित संजोता, क्रम संख्या-712 पर अंकित पवन कुमार यादव, क्रम संख्या-926 पर अंकित

अनिता देवी, क्रम संख्या-927 पर अंकित मोनू का नाम निर्वाचक नामावली से निरस्त होने के बावजूद उन लोगों के मतदान पर याचिनी व उसके चुनाव अभिकर्ता की आपत्ति करने के बावजूद उपरोक्त लोगों द्वारा अपने मतदान का प्रयोग अवैधानिक रूप से विपक्षीगण तृतीय पक्ष द्वारा करवा दिया गया, जिससे भी प्रश्नगत पद का चुनाव परिणाम अन्यथा रूप से प्रभावित हुआ। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम में भाग संख्या-26 में कुल मतदाताओं की संख्या-973 में से 911 मतदाता व भाग संख्या-27 के कुल मतदाताओं संख्या-982 में से 924 मतदाता व भाग संख्या-28 में मतदाताओं की कुल संख्या-1119 में से 1101 मतदाताओं को वैध मानकर तथा अवशेष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाकर तदनुसार संशोधित निर्वाचक नियमावली 2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई, किन्तु उपरोक्त संशोधित निर्वाचक नामावली के विपरीत भाग संख्या-26 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची 1) के विपरीत 21 मत तथा भाग संख्या-27 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची ।) के विपरीत 16 मत कुल 37 अवैध मत याचिनी व उसके प्रतिनिधि की आपत्ति के बावजूद विपक्षीगण 11 व 12 में विपक्षी संख्या-1 व उसके मेली मददगारों के प्रभाव व दबाव में होकर डलवा दिये, और उन अवैध 37 मतों सहित प्रश्नगत चुनाव में कुल 1834 मत पडे, तथा एक मत डाक से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1835 रही है। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के अध्यक्ष व सदस्य पदो के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 04.05.2023 को सम्पन्न हुआ। मतदान के दौरान जिसमें वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद हेतु भाग संख्या-26 में कुल 1834 मत पड़े। उपरोक्त चुनाव में पड़े मतों की गणना दिनांक-13.05.2023 को मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा, में हुई। मतगणना के दौरान याचिनी व उसके मतगणना अभिकर्ता की आपत्ति के बावजूद नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-27 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 16 मतदाताओं के मतपत्रों को तथा नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-26 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 21 मतदाताओं के मतपत्रों को कुल 37 अवैध मतों को भी वैध मतों में मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणाम को अन्यथा रूप से प्रभावित किया गया। उपरोक्त 37 अवैध मतों को विधि-विरूद्ध ढंग से विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष को प्राप्त मतों में गणना कर उसे 297 मत प्राप्त होना दर्शित किया गया। याचिनी को मात्र 296 मत पाना दर्शित किया गया, जबकि याचिनी को कुल 299 मत प्राप्त हुए है, जिनमें से 1 मत विपक्षी संख्या-2 के मतों में अवैध रूप से गणना की गयी, और याचिनी को प्राप्त मतों में से 2 मतों को अवैध मतों की गडडी में रखकर उन्हें अवैध मतों के रूप में गणना कर दी गयी जबकि कुल अवैध मतों की संख्या मात्र 68 गणना के समय थी। प्रश्नगत चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान, स्थलवार विधिमान्य मतों का जो विवरण दिनांक-13.05.2023 को विपक्षी संख्या 11 ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रारूप 36 ग पर प्रेषित किया उसमे याचिनी को 296 मत व विपक्षी संख्या-1 को 297 मत तथा विपक्षी संख्या-2 को 123 मत व विपक्षी संख्या-3 को 33 मत व विपक्षी संख्या-4 को 18 मत व विपक्षी संख्या-5 को 11 मत व विपक्षी संख्या-6 को 280 मत तथा

विपक्षी संख्या-7 को 262 मत व विपक्षी संख्या-8 को डाक से प्राप्त 1 मत सहित कुल 227 मत व विपक्षी संख्या-9 को 218 मत प्राप्त होना एव विधिमान्य मतों की कुल संख्या-1764 तथा याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को कुल प्राप्त मतों की संख्या-1765 व प्रतिक्षेपित (रदद) मतों की कुल संख्या-70 दर्शित किया और उसके विपरीत उसी तिथि दिनांक 13.05.2023 को विपक्षी संख्या-11 ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्ररूप- 37 पर प्रश्नगत चुनाव में याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त वैध मतों का जो विवरण प्रेषित किया, उसमें याचिनी को 296 मत विपक्षी संख्या-1 को 297 मत विपक्षी संख्या-2 को 124 मत व विपक्षी संख्या-2 को 33 मत विपक्षी संख्या-4 को 18 मत विपक्षी संख्या-5 को 11 मत, विपक्षी संख्या 6 को 280 मत, विपक्षी संख्या-7 को 262 मत, विपक्षी संख्या-8 को 227 व विपक्षी संख्या 9 को 218 मत तथा विधिमान्य मतों एंव याचिनी तथा विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त कुल मतों की संख्या ओवरराइटिंग कर 1766 एंव डाले गये कुल मतों की संख्या-1836 दर्ज कर विपक्षी संख्या-1 को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अवैध रूप से चयनित दर्शित किया। विपक्षीगण 11 व 12 ने विपक्षी संख्या 1 व उसके सगे सम्बन्धियों के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर भ्रष्ट आचरण करते हुए अविधिक तौर पर निर्वाचन व निर्वाचन परिणाम को प्रभावित कर विपक्षी संख्या-1 को प्रश्नगत सदस्य पद पर निर्वाचित होना घोषित किया गया है। प्रश्नगत चुनाव के मतदाताओं को विपक्षी संख्या-1 के पक्ष में मतदान देने के लिए रूपये, दारू, व मीट विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों द्वारा वितरीत किये गये। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड प्रथम के बूथ नम्बर-26 व 27 पर निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-I) से बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान चुनाव कर्मियो को व पीठासीन अधिकारी को अपने अनुचित प्रभाव व दबाव में लेकर विपक्षी संख्या-1 द्वारा कराये गये और बूथ नम्बर-26 व 27 पर याचिनी के समर्थक मतदाताओं को मतदान करने से जबरदस्ती विपक्षीगण 11 व 12 ने रोक दिया। याचिनी के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रपीड़न किया गया और उन्हें क्षति पहुंचाने की धमकी दी गयी, जिसकी वजह से याचिनी के सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और कुछ मतदाताओं ने अनुचित दबाव, प्रपीड़न व क्षति पहुंचाये जाने की धमकी दिये जाने पर विपक्षी संख्या-1 को मत दिया। प्रश्नगत चुनाव में जाति, सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मत देने के लिए विपक्षी संख्या-1 द्वारा मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाया गया। विपक्षी संख्या-1 व उसके पति तथा उनके पति के समर्थकों द्वारा जाति सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मतदान के लिए प्रचार-प्रसार किया गया व मतदाताओं को प्रभावित किया गया। प्रश्नगत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या-2936 रही, जिसमें से 1797 वैध मतदाताओं ने मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग किया और एक मतदाता ने डाक से अपना मत पत्र भेजा, कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1798 रही है, किन्तु विपक्षी संख्या-1 के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर विपक्षीगण 11 व 12 ने उन 37 व्यक्तियों का फर्जी मत डलवा दिया, जिनके नाम उपरोक्त संशोधित मतदाता सूची से निरस्त किये जान चुके थे। प्रश्नगत चुनाव में प्रयुक्त मतों में से अवैध मतों को विपक्षी संख्या-1 प्राप्त मतों में गणना की गयी तथा याचिनी को भी प्राप्त मतों को विपक्षी संख्या-1 के मत में गणना कर ली गयी। प्रश्नगत चुनाव के मतगणना

परिणाम में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष व विपक्षीगण द्वितीय पक्ष को प्राप्त मतों को व सभी अवैध मतों को सही तौर पर मतगणना परिणाम का जो चार्ट विपक्षी संख्या-9 रिर्टनिंग आफिसर/उपजिलाधिकारी सहजनवा गोरखपुर श्री सुरेश राय के हस्ताक्षर से जारी किया गया, उसमें दर्शित नहीं किया गया। प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में याचिनी को विपक्षी संख्या-1 से काफी अधिक मत प्राप्त हुए है। उक्त चुनाव में प्रयुक्त सभी मतों की विधिसम्मत ढंग से पुर्नमतगणना किये जाने पर याचिनी का वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होना निश्चित है, किन्तु उसे विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों ने अविधिक तौर पर गलत मतगणना के आधार पर निर्वाचित घोषित होने से वंचित करा दिया। याचिनी प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों का नियमानुसार गणना कराने व विपक्षी संख्या-1 के चुनाव परिणाम दिनांक-13.05.2023 को निरस्त कराने व नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के उपरोक्त सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होने की अधिकारी है। याचिका का कारण दिनांक 13.05.2023 व उसके पश्चात नगर पंचायत सहजनवा, तप्पा-गाहासाड़, परगना-हसनपुर, मगहर, तहसील- सहजनवा, जिला-गोरखपुर में न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में उत्पन्न हुआ। याचिनी ने इस चुनाव याचिका के लिए विहित प्रतिभूति मुबलिग 500/- रूपये दिनांक 28.06.2023 को जरिये चालान जमा कर दिया है। जिसकी मूल रसीद इस याचिका के साथ प्रेषित है और न्यायशुल्क मुबलिग 150/- रूपया याचिका के लिए देय है, अदा किया जाता है।

याचिनी द्वारा यह अनुतोष चाहा गया है कि उसके पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय की पुर्नमतगणना की डिक्री द्वारा नगर पंचायत सहजनवा, जिला-गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद के चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों की नियमानुसार पुर्नमतगणना कराकर पुर्नमतगणना के आधार पर उस पद पर याचिनी को निर्वाचित घोषित किया जाय तथा विपक्षी संख्या-1 को नगर पंचायत सहजनवां गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड प्रथम सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित किये जाने सम्बन्धी विपक्षी संख्या 11 का आदेश दिनाक 1305.2023 निरस्त किया जाए। उसके पक्ष में तथा विपक्षीगण के विरूद्ध न्यायालय की डिक्री द्वारा उसको वाद व्यय व अधिवक्ता पारिश्रमिक विपक्षगण से दिलाते हुए न्यायालय की दृष्टिकोण में उपरोक्त अनुतोष के अतिरिक्त वह जिस किसी अन्य अनुतोष की अधिकारी पायी जाए, उसकी भी डिक्री विपक्षीगण के विरूद्ध पारित की जाए।

याचिनी कुसमावती देवी की ओर से याचिका में किये गये कथनों के समर्थन में अभिलेखीय साक्ष्य के रूप में सूची 8 ग के माध्यम से प्रारूप 36 ग, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर वार्ड नंबर-12 के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतदान स्थलवार मतगणना परिणाम दिनांकित 13.05.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या- 9ग, प्रारूप 37, नगर पंचायत, सहजनवां, गोरखपुर वार्ड नंबर-12 के सदस्य के निर्वाचन हेतु मतगणना परिणाम दिनांकित 13.05.2023 की प्रमाणित प्रतिलिपि कागज संख्या- 10ग , कोषागार प्रपत्र-209(1) रसीद चालान मु० 500/- रूपये की मूलप्रति कागज संख्या-11ग तथा सूची 30 ग के माध्यम से

नगर निकाय सामान्य निर्वाचन 2023 के नगर पंचायत-I सहजनवां, मतदान केन्द्रों/स्थलों की सूची दिनांकित 19.04.2023 की छायाप्रति कागज संख्या-31ग/1ता 31ग/2, नगर पंचायत निर्वाचक नामावली 2022 (अंतिम प्रकाशन सूची) भाग संख्या-26, मतदान केन्द्र भोलाराम, मस्करा इण्टर कालेज गाहासांड की छायाप्रति कागज संख्या-32ग/1 ता 32ग/4, नगर पंचायत निर्वाचक नामावली 2023 भाग 26 (पूरक सूची) की छायाप्रति कागज संख्या-33ग/1 ता 33ग/4, नग पंचायत निर्वाचक नामावली-2022 (अंतिम प्रकाशन सूची) भाग संख्या-27 मतदान केन्द्र प्राथमिक पाठशाला, गाहासाड की छायाप्रति कागज संख्या-34ग/1 ता 34ग/5, नगर पंचायत निर्वाचक नामावली 2022 (अंतिम प्रकाशन सूची) भाग संख्या-28, मतदान केन्द्र भोलाराम, मस्करा इण्टर कालेज गाहासांड की छायाप्रति कागज संख्या-35ग/1 ता 35ग/6, नगर पंचायत निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची) भाग संख्या-28, मतदान केन्द्र भोलाराम, मस्करा इण्टर कालेज गाहासांड की छायाप्रति कागज संख्या-36 दाखिल की गयी है।

याचिनी कुसमावती देवी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चुनाव याचिका के विरूद्ध विपक्षी प्रथम पक्ष प्रियंका सिंह की ओर से आपत्ति/जबावदेही कागज संख्या-24 क प्रस्तुत कर याचिनी की याचिका के पैरा- 1, 2, 3 व 5 को स्वीकार करते हुए तथा अन्य सभी पैराओं से इंकार करते हुए अतिरिक्त कथन किया गया है कि:-

याचिनी को कोई भी आधार दावा विरूद्ध विपक्षी/ उत्तरदाता के प्राप्त नहीं है, याचिनी ने महज किस्मत आजमाईस की गरज से याचिका बिल्कुल गलत तथ्यों के साथ दाखिल कर दिया है। याचिनी का यह कथन कि नगर पंचायत सहजनवां के कुल मतदाताओ की संख्या 34699 प्रकाशित की गयी तथा कुल 22412 मतदाताओ के मतदान का प्रयोग किया जाना दर्शित किया गया बिलकुल गलत व झूठ है। याचिनी का यह कथन कि निर्वाचन नामावली 2023 (पूरक सूची नं० 1) के वार्ड सं0 12 के भाग 26 पर क्रम सं0 47, 97, 98, 121, 136, 143, 158, 162, 192, 332, 335, 375, 377, 464, 469, 470, 491, 582, 583, 680, 743 पर अंकित नाम निरस्त कर दिया गया तथा भाग सं० 27 के क्रम सं0 160, 198, 201, 263, 267, 268, 272, 280, 285, 524, 528, 531, 533, 712, 926, 927 में अंकित नाम निरस्त होने के बावजूद व आपत्ति करने के बावजूद उन लोगो को मतदान करने दिया गया तथा भाग सं0 26 व 27 व 28 में कुछ मतदाताओ को वैध तथा अवशेष का नाम मतदाता सूची से हटाकर पूरक सूची जारी किया गया और याचिनी की आपत्ति के विपरीत अवैध मतो को विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा विपक्षी सं०- 1 के मददगारो के अनुचित प्रभाव व दबाव मे होकर डलवा दिया गया तथा चुनाव मे कुल 1834 मत पडे थे एक डाक मत था कुल 1835 मत रहा बिल्कुल गलत व झूठ है। सत्यता यह है कि याचिनी द्वारा याचिका के खण्ड 6 व 7 मे लिया गया आधार निर्वाचक नामावली से सम्बन्धित होने के कारण मुताबिक कानून चुनाव याचिका का आधार नहीं हो सकता है ना ही उसको देखने की क्षेत्राधिकारिता माननीय न्यायालय को है। निर्वाचक नामावली नियमानुसार तैयार की गयी थी और पूर्णतया विधिनुसार तैयार निर्वाचन नामावली से विधिनुसार मतदान कराया गया। उसके मतगणना अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामवली के भाग

सं०- 23 द्वारा निरस्त 16 मतदाता के मतपत्रो एवं भाग सं० 26 द्वारा निरस्त 21 मतदाताओ मे मत पत्रो कुल 37 अवैध मतो को मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से वैध मत मानकर गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं किया गया। विधिनुसार निर्मित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओ द्वारा डाले गये मत पत्रो की विधिनुरूप गणना करके प्रतिक्षेपित मत पत्रो को गणना कर उसे निकालकर विधि मान्य मतो की संख्या के अनुरूप गिनती करके परिणाम घोषित किया गया। विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा विधिनुसार गणना करके प्रारूप 36 ग तैयार किया गया और निष्पक्ष गणना की गयी कत्तई किसी अवैध मत को विपक्षी के मतो मे गणना नहीं की गयी थी और प्रतिक्षेपित मतो की संख्या 70 थी कत्तई 68 नहीं थी। कत्तई विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा कोई गलती मतगणना मे नहीं किया गया और विपक्षी तृतीय पक्ष ने नियमानुसार निष्पक्ष मतगणना करके सर्वाधिक मत पाने के कारण विपक्षी सं०-1 को निर्वाचित घोषित किया। विपक्षी सं०- 11 व 12 ने नियमानुसार मतदान व मतगणना निष्पक्ष तरीके से सम्पादित कराया है। विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा निष्पक्ष मतगणना नियमानुसार वैध मतो की गिनती करके व विधिनुसार चार्ट तैयार किया गया और विपक्षी/उत्तरदाता को सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया। कत्तई विपक्षी सं० 2 द्वारा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओ को धर्म जाति सम्प्रदाय के आधार पर न तो प्रचार प्रसार किया ना ही उन पर अनुचित दबाव बनाया और ना ही किसी मतदाता के साथ उत्पीड़न किया गया और ना ही क्षति पहुँचाने की धमकी दिया और ना ही मतदाताओ को मतदान के लिए रूपये दारू मीट वितरित किया बल्कि याचिनी ने ही चुनाव जाति धर्म सम्प्रदाय मतदाताओ से अपने पक्ष में मतदान करने की एवं दारू रूपया मीट बांटकर वोट लेने की पूरी कोशिश किया लेकिन मतदाताओ ने याचिनी के मंसूबे को सफल नहीं होने दिया तथा स्वस्थ प्रतिस्पर्धा के तहत स्वच्छ मन से अपना मतदान किया और विपक्षी सं०- 1 के पक्ष में सर्वाधिक मतदान होने के कारण विपक्षी सं०-1 को निर्वाचित घोषित किया गया। याचिनी चुनाव मे अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जिसके चलते बिल्कुल गलत तरीके से विपक्षी तृतीय पक्ष पर गलत दोषारोपड़ करते हुए व मतदाताओ पर गलत लांछना लगाते हुए प्रार्थिनी/उत्तरदाता को हैरान परेशान करने के गरज से चुनाव याचिका बिल्कुल गलत कथनो के साथ दाखिल कर दिया है। चुनाव मतगणना मे किसी भी प्रकार की कोई धांधली व गलती नहीं किया गया है ना ही पुर्नमतगणना की आवश्यकता है, चुनाव मतगणना निष्पक्ष तरीके से विधिनुन्सार निष्पादित सम्पादित/उत्तरदाता का निर्वाचन मतदाताओ के वास्तविक मंशा के अनुरूप है लेकिन याचिनी ने बेबुनियाद मनगढन्त आरोपो के साथ चुनाव याचिका दाखिल कर दिया है। याचिनी द्वारा चुनाव याचिका मे विधिनुसार आवश्यक आज्ञापक विशिष्टयों का पालन नहीं किया है और ना ही आधारभूत साक्ष्यो की सत्यप्रतिलिपि प्रेषित किया है जिसके कारण याचिनी की चुनाव याचिका कानूनन पोषणीय नहीं हैं। याचिनी द्वारा चुनाव याचिका स्वयं उपस्थित होकर न तो प्रेषित किया गया है ना ही विधिनुसार सत्यापित किया गया है। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत चुनाव याचिका सव्यय निरस्त किये जाने की याचना की गयी है।

विपक्षी संख्या-1 प्रियंका सिंह द्वारा प्रस्तुत आपत्ति/जबावदेही के विरूद्ध याचिनी की ओर से प्रतिआपत्ति/जबावुल जबाव कागज संख्या-26क प्रस्तुत कर विपक्षी संख्या-1 द्वारा आपत्ति में किये गये कथनों को गलत एवं निराधार बताया गया है।

न्यायालय द्वारा दिनांक 29.01.2024 को याचिनी तथा विपक्षी संख्या-1 के विद्वान अधिवक्तागण को सुनकर उनके अभिवचनों के आधार पर निम्नलिखित वाद बिन्दु विरचित किये गये है:-

1. क्या याची नगर पंचायत सहजनवां, जिला- गोरखपुर के वार्ड नं०-12 गाहासाड प्रथम के सदस्य पद के चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों की नियमानुसार पुर्नमतगणना कराकर निर्वाचित घोषित होने की अधिकारी है ?

2.क्या विपक्षी संख्या-11 का आदेश दिनांक 13.05.2023 याचिका में देय आधारों पर निरस्त होने योग्य है ?

3. क्या याचिका पोषणीय नहीं है ?

4. क्या याचिका दीवानी प्रक्रिया संहिता एवं उ०प्र० नगर पालिका अधिनियम 1916 के प्राविधानों का पालन नहीं किया गया है और उन प्राविधानों का पालन न किये जाने के कारण पोषणीय नहीं है ?

5. क्या याचिका मौन सम्मति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है ?

6. क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

याचिनी की ओर से अपनी याचिका में किये गये कथनों के समर्थन में स्वयं को पी०डब्लू०-1 के रूप में, शिवदास यादव को पी०डब्लू०-2 के रूप में शपथ पर परीक्षित कराया गया है तथा विपक्षी संख्या-1 की ओर से विजय कुमार को डी०डब्लू०-1, रामबदन यादव को डी०डब्लू०-2, विन्जन सिंह को डी०डब्लू०-3 एवं दीनदयाल सिंह को डी०डब्लू०-4 के रूप में शपथ पर परीक्षित कराया गया है।

साक्षी **पी०डब्लू०-1 कुसमावती** ने अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में सशपथ कथन किया है कि:-

नगर पंचायत सहजनवा, जनपद-गोरखपुर के सदस्य पद हेतु उसने निर्दल उम्मीदरवार की हैसियत से तथा विपक्षी संख्या-1 निर्दल उम्मीदवार की हैसियत से तथा विपक्षी संख्या 2 ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से व विपक्षी संख्या-3 आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार की हैसियत से व विपक्षीगण 4 ता 9 ने निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अपने-अपने नामांकन पत्र जमा किया और इन सभी लोगो के नामांकन पत्र वैध घोषित किये गये। चुनाव चिन्ह याचिनी को उगता सूरज' व विपक्षी संख्या-1 को खड़ाउ व विपक्षी संख्या-2 को 'कमल का फूल व विपक्षी संख्या-3 को "झाड़ू" तथा विपक्षी संख्या-4 को आम, एंव विपक्षी संख्या-

5 को अनाज ओसाता हुआ किसान तथा विपक्षी संख्या-6 को छाता व विपक्षी संख्या-7 को कार एव विपक्षी संख्या-8 को इमली व विपक्षी संख्या 9 को कुर्सी प्रतीक/चुनाव चिह्न 21.04.2023 को आवंटित किये गये। नगर पंचायत सहजनवा के अध्यक्ष व सदस्य पदों के निर्वाचन हेतु मतदान की तिथि दिनांक-04.05.2023 पूर्वान्ह 7 बजे से अपरान्ह 6 बजे तक निर्धारित की गयी, और उस चुनाव हेतु नगर पचायत सहजनवा के कुल 16 वार्ड के कुल मतदाताओं की संख्या- 34,699 प्रकाशित की गयी। जिसमें महिला मतदाओं के मतदान का प्रतिशत 68.41 प्रतिशत होना व कुल 22412 मतदाताओं द्वारा अपने मतदान का प्रयोग किया जाना दर्शित किया गया। वह तथा विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष तथा विपक्षीगण 2 ता 9 द्वितीय पक्ष नगर पंचायत सहजनवां के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम से सदस्य पद के उम्मीदवार उपरोक्त चुनाव में रहे है। नगर पंचायत सहजनवां के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु जो निर्वाचक नामावली-2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम की जारी हुई, उसके भाग-26 पृष्ठ संख्या 7 के क्रम संख्या-47, 97, 98, 121, 136, 143, 158, 162, 192, 332, 335, 375, 377, 464, 469, 470, 491 व उपरोक्त निर्वाचक नियमावली भाग संख्या-26 के पृष्ठ 8 के क्रम संख्या-582, 583, 680, 743 पर अंकित मतदाता का नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दिया गया था और नगर पंचायत सहजनवां निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम भाग संख्या 27 के क्रम संख्या-164, 198, 201, 263, 267, 268, 272, 284, 285, 524, 528, 531, 533, 712, 926 व 927 पर अंकित मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से निरस्त होने के बावजूद उन लोगों का मतदान उसके व उसके चुनाव अभिकर्ता की आपत्ति करने के बावजूद अवैधानिक रूप से विपक्षीगण तृतीय पक्ष द्वारा करवा दिया गया, जिससे भी प्रश्नगत पद का चुनाव परिणाम अन्यथा रूप से प्रभावित हुआ। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम में भाग संख्या-26 में कुल मतदाताओं की संख्या-973 में से 911 मतदाता व भाग संख्या-27 के कुल मतदाताओं संख्या-982 में से 924 मतदाता व भाग संख्या-28 में मतदाताओं की कुल संख्या-1119 में से 1101 मतदाताओं को वैध मानकर तथा अवशेष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाकर तदनुसार संशोधित निर्वाचक नियमावली 2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई, किन्तु उपरोक्त संशोधित निर्वाचक नामावली के विपरीत भाग संख्या-26 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची 1) के विपरीत 21 मत तथा भाग संख्या-27 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची ।) के विपरीत 16 मत कुल 37 अवैध मत उसके व उसके प्रतिनिधि की आपत्ति के बावजूद विपक्षीगण 11 व 12 में विपक्षी संख्या-1 व उसके मेली मददगारों के प्रभाव व दबाव में होकर डलवा दिये, और उन अवैध 37 मतों सहित प्रश्नगत चुनाव में कुल 1834 मत पडे, तथा एक मत डाक से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1835 रही है। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के अध्यक्ष व सदस्य पदो के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 04.05.2023 को सम्पन्न हुआ। मतदान के दौरान जिसमें वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद हेतु भाग संख्या-26 में कुल 1834 मत पड़े। उपरोक्त चुनाव में पड़े मतों की गणना दिनांक-13.05.2023 को मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा में हुई।

मतगणना के दौरान उसके व उसके मतगणना अभिकर्ता की आपत्ति के बावजूद नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-27 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 16 मतदाताओं के मतपत्रों को तथा नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-26 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 21 मतदाताओं के मतपत्रों को कुल 37 अवैध मतों को भी वैध मतों में मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणाम को अन्यथा रूप से प्रभावित किया गया। उपरोक्त 37 अवैध मतों को विधि-विरूद्ध ढंग से विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष को प्राप्त मतों में गणना कर उसे 297 मत प्राप्त होना दर्शित किया गया। उसको मात्र 296 मत पाना दर्शित किया गया, जबकि उसे को कुल 299 मत प्राप्त हुए है, जिनमें से 1 मत विपक्षी संख्या-2 के मतों में अवैध रूप से गणना की गयी, और याचिनी को प्राप्त मतों में से 2 मतों को अवैध मतों की गडडी में रखकर उन्हें अवैध मतों के रूप में गणना कर दी गयी जबकि कुल अवैध मतों की संख्या मात्र 68 गणना के समय थी। प्रश्नगत चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान, स्थलवार विधिमान्य मतों का जो विवरण दिनांक-13.05.2023 को विपक्षी संख्या 11 ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रारूप 36 ग पर प्रेषित किया उसमे याचिनी को 296 मत व विपक्षी संख्या-1 को 297 मत तथा विपक्षी संख्या-2 को 123 मत व विपक्षी संख्या-3 को 33 मत व विपक्षी संख्या-4 को 18 मत व विपक्षी संख्या-5 को 11 मत व विपक्षी संख्या-6 को 280 मत तथा विपक्षी संख्या-7 को 262 मत व विपक्षी संख्या-8 को डाक से प्राप्त 1 मत सहित कुल 227 मत व विपक्षी संख्या-9 को 218 मत प्राप्त होना एव विधिमान्य मतों की कुल संख्या-1764 तथा याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को कुल प्राप्त मतों की संख्या-1765 व प्रतिक्षेपित (रदद) मतों की कुल संख्या-70 दर्शित किया और उसके विपरीत उसी तिथि दिनांक 13.05.2023 को विपक्षी संख्या-11 ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्ररूप- 37 पर प्रश्नगत चुनाव में याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त वैध मतों का जो विवरण प्रेषित किया, उसमें याचिनी को 296 मत विपक्षी संख्या-1 को 297 मत विपक्षी संख्या-2 को 124 मत व विपक्षी संख्या-2 को 33 मत विपक्षी संख्या-4 को 18 मत विपक्षी संख्या-5 को 11 मत, विपक्षी संख्या 6 को 280 मत, विपक्षी संख्या-7 को 262 मत, विपक्षी संख्या-8 को 227 व विपक्षी संख्या 9 को 218 मत तथा विधिमान्य मतों एंव याचिनी तथा विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त कुल मतों की संख्या ओवरराइटिंग कर 1766 एंव डाले गये कुल मतों की संख्या-1836 दर्ज कर विपक्षी संख्या-1 को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अवैध रूप से चयनित दर्शित किया। विपक्षीगण 11 व 12 ने विपक्षी संख्या 1 व उसके सगे सम्बन्धियों के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर भ्रष्ट आचरण करते हुए अविधिक तौर पर निर्वाचन व निर्वाचन परिणाम को प्रभावित कर विपक्षी संख्या-1 को प्रश्नगत सदस्य पद पर निर्वाचित होना घोषित किया गया है। प्रश्नगत चुनाव के मतदाताओं को विपक्षी संख्या-1 के पक्ष में मतदान देने के लिए रूपये, दारू, व मीट विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों द्वारा वितरीत किये गये। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड प्रथम के बूथ नम्बर-26 व 27 पर निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-I) से बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान चुनाव कर्मियो को व पीठासीन अधिकारी को अपने अनुचित प्रभाव व दबाव में

लेकर विपक्षी संख्या-1 द्वारा कराये गये और बूथ नम्बर-26 व 27 पर उसके समर्थक मतदाताओं को मतदान करने से जबरदस्ती विपक्षीगण 11 व 12 ने रोक दिया। उसके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रपीड़न किया गया और उन्हें क्षति पहुंचाने की धमकी दी गयी, जिसकी वजह से उसके सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और कुछ मतदाताओं ने अनुचित दबाव, प्रपीड़न व क्षति पहुंचाये जाने की धमकी दिये जाने पर विपक्षी संख्या-1 को मत दिया। प्रश्नगत चुनाव में जाति, सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मत देने के लिए विपक्षी संख्या-1 द्वारा मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाया गया। विपक्षी संख्या-1 व उसके पति तथा उनके पति के समर्थकों द्वारा जाति सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मतदान के लिए प्रचार-प्रसार किया गया व मतदाताओं को प्रभावित किया गया। प्रश्नगत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या-2936 रही, जिसमें से 1797 वैध मतदाताओं ने मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग किया और एक मतदाता ने डाक से अपना मत पत्र भेजा, कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1798 रही है, किन्तु विपक्षी संख्या-1 के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर विपक्षीगण 11 व 12 ने उन 37 व्यक्तियों का फर्जी मत डलवा दिया, जिनके नाम उपरोक्त संशोधित मतदाता सूची से निरस्त किये जान चुके थे। प्रश्नगत चुनाव में प्रयुक्त मतों में से अवैध मतों को विपक्षी संख्या-1 प्राप्त मतों में गणना की गयी तथा उसको भी प्राप्त मतों को विपक्षी संख्या-1 के मत में गणना कर ली गयी। प्रश्नगत चुनाव के मतगणना परिणाम में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष व विपक्षीगण द्वितीय पक्ष को प्राप्त मतों को व सभी अवैध मतों को सही तौर पर मतगणना परिणाम का जो चार्ट विपक्षी संख्या-9 रिर्टनिंग आफिसर/उपजिलाधिकारी सहजनवा गोरखपुर श्री सुरेश राय के हस्ताक्षर से जारी किया गया, उसमें दर्शित नहीं किया गया। प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में याचिनी को विपक्षी संख्या-1 से काफी अधिक मत प्राप्त हुए है। उक्त चुनाव में प्रयुक्त सभी मतों की विधिसम्मत ढंग से पुर्नमतगणना किये जाने पर याचिनी का वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होना निश्चित है, किन्तु उसे विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों ने अविधिक तौर पर गलत मतगणना के आधार पर निर्वाचित घोषित होने से वंचित करा दिया। याचिनी प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों का नियमानुसार गणना कराने व विपक्षी संख्या-1 के चुनाव परिणाम दिनांक-13.05.2023 को निरस्त कराने व नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के उपरोक्त सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होने की अधिकारी है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी (याचिनी) ने कथन किया है किः-

वह पढ़ी लिखी नहीं है। निशानी अंगूठा लगाती है। उसने अपने द्वारा दाखिल दावा बयान व विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब को अपने पति से पढ़वाकर सुना। दावा बनवाने उसके पति आये थे और उन्होने ही दावा दाखिल कराया। बादहू स्वयं कहा वह भी साथ में आयी थी। जिस दिन दावा बना था उसी दिन दावा दाखिल हुआ था। उसे याद नहीं है किस तारिख व महिना को वह दावा बनवाने व दाखिल करने आयी थी। इस मुकदमे में उसके अलावा किसी और की गवाही नहीं कराएगी। उसे मालूम नहीं है कि उसने गवाहान सूची दाखिल किया है कि नहीं। वह सहजनवां नगर

पंचायत के वार्ड न०-12 से चुनाव लड़ी थी। वार्ड नं०-12 से कुल 11 लोग चुनाव लड़े थे। जिसमे से उसने ही केवल दावा किया है बाकी लोगों ने दावा नहीं किया है। वह चुनाव में निर्दल उम्मीदवार थी। उसे नहीं मालूम की विपक्षी सं०-1 निर्दल उम्मीदवार थी कि किसी पार्टी की प्रत्याशी थी। वह प्रियंका सिंह को जानती है। उसे याद नहीं है कि प्रियंका सिंह से उसकी जान पहचान कब से है। उसे यह नहीं मालूम कि नगर पंचायत सहजनवा में कुल कितने वार्ड है। उसने इस मुकदमें में मतगणना को चुनौती दिया है, मतदान को नहीं। चुनाव में उसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था। कमल का फूल निशान हिमान्शु सिंह का था। खडाउ चुनाव निशान विनय का था। छाता किसका था उसे याद नहीं। वार्ड नम्बर 12 में 11 वोटर चुनाव लडे थे। वार्ड नम्बर 12 में कुल मतदाताओं की संख्या 1834 थी। यह उसे नही मालूम कि कुल कितना वोट पड़ा था। वह चुनाव लडने से पहले वोटर लिस्ट की नकल ली थी अथवा नहीं उसे नहीं मालूम। वोटर लिस्ट वह कही से पायी थी। वोटर लिस्ट की कुल कितनी सूची थी उसे नही मालूम। वोटर लिस्ट में किसी का नाम गलत दर्ज नही था। वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम कट गया था। यह बात कि वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम कट गया है, उसके पति ने बताया था। उसे यह याद नहीं है कि किसका किसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया हे। उसने वोटर लिस्ट का कागज इस मुकदमे में दाखिल किया है। उसे यह नहीं मालूम कि कुल कितने लोगो का नाम वोटर लिस्ट से कटा है। उसके वार्ड के जूट मिल के लोगों का नाम कटा था। वह उनका नाम नहीं बता सकती। उसने अपने बयान में जो निर्वाचक नियमावली के नामों का वर्णन किया है वह अपने पति के बताने पर किया है। वार्ड संख्या 12 में कुल 03 भाग बने थे और कुल 03 बूथ बने थे। पहला बूथ जूट मिल में था दूसरा और तीसरा गाहासाड में था। इन तीनों बूथों पर उसके एजेन्ट थे। जिनमें से एक पर श्रीराम यादव और दूसरे एवं तीसरे बूथ पर दीनदयाल यादव थे। यह दोनों लोग गाहासाड के हैं। उपरोक्त दोनों एजेन्ट उसके जेठ लडके एवं देवर है। उसने वोटर लिस्ट की पूरक सूची देखी थी। उसमें किसका नाम गलत छप गया था. उसे नहीं मालूम। उसे याद नही है कि जूट मिल वाले बूथ पर कुल कितना वोट पड़ा था। मतगणना में उसके एजेन्ट उसके पति थे। वह मतगणना स्थल पर नहीं थी। चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं हुआ था, बल्कि बैलेट पेपर से हुआ था। उसे यह नहीं मालूम कि मतगणना में उसके एजेन्ट ने लिखित शिकायत किया था कि मौखिक। वह 299 वोट पायी थी। प्रियंका का उसे पता नही है कितना वोट पायी थी। अन्य लोग जो लडे थे वह कितना वोट पाये थे, वह भी उसे नहीं मालूम। 299 वोट पाने की बात उसके पति ने उसे बताया था। वह मतगणना स्थल पर नहीं थी। उसके पति मतगणना के बाद घर पर आकर बताये थे। यह उसे नहीं मालूम कि कुल कितना अवैध मत था। गणना के बाद वह चुनाव जीती थी। जीतने का प्रमाण-पत्र उसे नहीं मिला था। विपक्षी सं0-1 के पति जूट मिल में लाइन बनाते हैं। प्रियन्का कुछ नहीं करती है। घरेलू महिला हैं। विपक्षी सं0-1 के पति कोई नेता या अधिकारी नहीं है। वह चुनाव जीती थी, लेकिन उसे किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए उसने मुकदमा कर दिया। इस मुकदमें से वह चाहती है कि फिर से मतगणना हो, फिर से वोट न पड़े। मतगणना इसलिए हो क्योंकि मौके पर जो लोग थे वह उसे हरा दिये। मतगणना में उसे किसने हराया, उसे नहीं मालूम। चुनाव प्रचार में दारू, मीट, रूपया विनय बाँट

रहे थे। वह किसी का नाम नहीं जानती है कि किसको रूपया दारू मीट बाटें। उसके सामने दारू रूपया, मीट नहीं बटा था। उसके पति जानते हैं। विनय चुनाव लडे थे। उसे यह नहीं मालूम है कि मतगणना में पीठासीन अधिकारी कौन था। चुनाव में 30-40 वोट फर्जी पड़ा था। यह बात उसके एजेन्ट ने उसके बताया था। उसने इसकी कोई शिकायत कही पर नहीं किया था। उसे यह नहीं मालूम कि चुनाव कौन करा रहा था। उसे यह नहीं मालूम है कि उसके किस मतदाता को डराया धमकाया गया। इस चुनाव में सबसे सब लोग जाति, धर्म के नाम पर वोट माँग रहे थे। वह भी जाति, धर्म के नाम पर सबसे वोट मांग रही थी। डाक से भी एक वोट आया था। उसे यह नहीं मालूम कि प्रारूप 36 ग क्या है। उसने अपने बयान में प्रारूप 36 ग के बारे में जो लिखा है, वह अपने पति के कहने से लिखा है। उसे नहीं मालूम कि वोटर लिस्ट की कुल कितनी सूची बनी थी। अपने बयान में उसने वोटर लिस्ट के अन्तिम सूची व पूरक सूची के बारे में जो लिखा है, वह सब अपने पति के बताने पर लिखा है। वह कुछ नहीं जानती, उसके पति ही सब जानते हैं। उसके द्वारा दाखिल बयान में जो भी बातें लिखी है, वह सब उसके पति के कहने पर लिखी गयी है और वही सब जानते हैं। चुनाव में उसे सिर्फ इतना मालूम है कि विनय ने उसके पति को वोट डालने नहीं दिया, इसी नाते उसने यह दावा दाखिल कर दिया। यह कहना गलत है कि वह झूठी गवाही दे रही है।

साक्षी **पी०डब्लू०-2 शिवदास यादव** ने अपनी साक्ष्य शपथ पत्र में सशपथ कथन किया गया है, जो संक्षेप में इस प्रकार है कि:-

वह उपरोक्त याचिका में याचिनी के नगर पंचायत सहजनवां, गोरखपुर के वार्ड नं०-12 गाहासाड़ प्रथम के चुनाव में प्रतिनिधि रहा है। नगर पंचायत सहजनवा, जनपद-गोरखपुर के सदस्य पद हेतु याचिनी निर्दल उम्मीदरवार की हैसियत से नामांकन पत्र जमा की, जो वैध घोषित किया गया। नगर पंचायत सहजनवां के अध्यक्ष व सदस्य पदों हेतु जो निर्वाचक नामावली-2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम की जारी हुई, उसके भाग-26 पृष्ठ संख्या 7 के क्रम संख्या-47, 97, 98, 121, 136, 143, 158, 162, 192, 332, 335, 375, 377, 464, 469, 470, 491 व उपरोक्त निर्वाचक नियमावली भाग संख्या-26 के पृष्ठ 8 के क्रम संख्या-582, 583, 680, 743 पर अंकित मतदाता का नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दिया गया था और नगर पंचायत सहजनवां निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम भाग संख्या 27 के क्रम संख्या-164, 198, 201, 263, 267, 268, 272, 284, 285, 524, 528, 531, 533, 712, 926 व 927 पर अंकित मतदाता का नाम निर्वाचक नामावली से निरस्त होने के बावजूद उन लोगों का मतदान याचिनी व उसके चुनाव अभिकर्ता की आपत्ति करने के बावजूद अवैधानिक रूप से विपक्षीगण तृतीय पक्ष द्वारा करवा दिया गया। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम में भाग संख्या-26 में कुल मतदाताओं की संख्या-973 में से 911 मतदाता व भाग संख्या-27 के कुल मतदाताओं संख्या-982 में से 924 मतदाता व भाग संख्या-28 में मतदाताओं की कुल संख्या-1119 में से 1101 मतदाताओं को वैध मानकर तथा अवशेष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाकर तदनुसार संशोधित निर्वाचक

नियमावली 2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई, किन्तु उपरोक्त संशोधित निर्वाचक नामावली के विपरीत भाग संख्या-26 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची 1) के विपरीत 21 मत तथा भाग संख्या-27 की निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) के विपरीत 16 मत कुल 37 अवैध मत याचिनी व उसके प्रतिनिधि की आपत्ति के बावजूद विपक्षीगण 11 व 12 में विपक्षी संख्या-1 व उसके मेली मददगारों के प्रभाव व दबाव में होकर डलवा दिये, और उन अवैध 37 मतों सहित प्रश्नगत चुनाव में कुल 1834 मत पडे, तथा एक मत डाक से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1835 रही है। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के अध्यक्ष व सदस्य पदो के निर्वाचन हेतु मतदान दिनांक 04.05.2023 को सम्पन्न हुआ। वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद हेतु भाग संख्या-26 में कुल 1834 मत पड़े। उपरोक्त चुनाव में पड़े मतों की गणना दिनांक-13.05.2023 को मुरारी इण्टर कालेज सहजनवा में हुई। मतगणना के याचिनी व याचिनी के मतगणना अभिकर्ता के रूप में उसकी आपत्ति के बावजूद नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-27 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 16 मतदाताओं के मतपत्रों को तथा नगर पंचायत सहजनवा निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-26 द्वारा निरस्त किये गये उपरोक्त 21 मतदाताओं के मतपत्रों को कुल 37 अवैध मतों को भी वैध मतों में मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणाम को अन्यथा रूप से प्रभावित किया गया। उपरोक्त 37 अवैध मतों को विधि-विरूद्ध ढंग से विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष को प्राप्त मतों में गणना कर उसे 297 मत प्राप्त होना दर्शित किया गया। उसको मात्र 296 मत पाना दर्शित किया गया, जबकि उसे को कुल 299 मत प्राप्त हुए है, जिनमें से 1 मत विपक्षी संख्या-2 के मतों में अवैध रूप से गणना की गयी, और याचिनी को प्राप्त मतों में से 2 मतों को अवैध मतों की गडडी में रखकर उन्हें अवैध मतों के रूप में गणना कर दी गयी जबकि कुल अवैध मतों की संख्या मात्र 68 गणना के समय थी। प्रश्नगत चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान, स्थलवार विधिमान्य मतों का जो विवरण दिनांक-13.05.2023 को विपक्षी संख्या 11 ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रारूप 36 ग पर प्रेषित किया उसमे याचिनी को 296 मत व विपक्षी संख्या-1 को 297 मत तथा विपक्षी संख्या-2 को 123 मत व विपक्षी संख्या-3 को 33 मत व विपक्षी संख्या-4 को 18 मत व विपक्षी संख्या-5 को 11 मत व विपक्षी संख्या-6 को 280 मत तथा विपक्षी संख्या-7 को 262 मत व विपक्षी संख्या-8 को डाक से प्राप्त 1 मत सहित कुल 227 मत व विपक्षी संख्या-9 को 218 मत प्राप्त होना एव विधिमान्य मतों की कुल संख्या-1764 तथा याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को कुल प्राप्त मतों की संख्या-1765 व प्रतिक्षेपित (रदद) मतों की कुल संख्या-70 दर्शित किया और उसके विपरीत उसी तिथि दिनांक 13.05.2023 को विपक्षी संख्या-11 ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्ररूप- 37 पर प्रश्नगत चुनाव में याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त वैध मतों का जो विवरण प्रेषित किया, उसमें याचिनी को 296 मत विपक्षी संख्या-1 को 297 मत विपक्षी संख्या-2 को 124 मत व विपक्षी संख्या-2 को 33 मत विपक्षी संख्या-4 को 18 मत विपक्षी संख्या-5 को 11 मत, विपक्षी संख्या 6 को 280 मत, विपक्षी संख्या-7 को 262 मत, विपक्षी संख्या-8 को 227 व विपक्षी

संख्या 9 को 218 मत तथा विधिमान्य मतों एंव याचिनी तथा विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त कुल मतों की संख्या ओवरराइटिंग कर 1766 एंव डाले गये कुल मतों की संख्या-1836 दर्ज कर विपक्षी संख्या-1 को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अवैध रूप से चुना जाना दिखा दिया गया। विपक्षीगण 11 व 12 ने विपक्षी संख्या 1 व उसके सगे सम्बन्धियों के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर भ्रष्ट आचरण करते हुए अविधिक तौर पर निर्वाचन व निर्वाचन परिणाम को प्रभावित कर विपक्षी संख्या-1 को प्रश्नगत सदस्य पद पर निर्वाचित होना घोषित किया गया है। प्रश्नगत चुनाव के मतदाताओं को विपक्षी संख्या-1 के पक्ष में मतदान देने के लिए रूपये, दारू, व मीट विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों द्वारा वितरीत किये गये। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड प्रथम के बूथ नम्बर-26 व 27 पर निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-I) से बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान चुनाव कर्मियो को व पीठासीन अधिकारी को अपने अनुचित प्रभाव व दबाव में लेकर विपक्षी संख्या-1 द्वारा कराये गये और बूथ नम्बर-26 व 27 पर याचिनी के समर्थक मतदाताओं को मतदान करने से जबरदस्ती विपक्षीगण 11 व 12 ने रोक दिया। याचिनी के पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रपीड़न किया गया और उन्हें क्षति पहुंचाने की धमकी दी गयी, जिसकी वजह से याचिनी के सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और कुछ मतदाताओं ने अनुचित दबाव, प्रपीड़न व क्षति पहुंचाये जाने की धमकी दिये जाने पर विपक्षी संख्या-1 को मत दिया। प्रश्नगत चुनाव में जाति, सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मत देने के लिए विपक्षी संख्या-1 द्वारा मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाया गया। विपक्षी संख्या-1 व उसके पति तथा उनके पति के समर्थकों द्वारा जाति सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मतदान के लिए प्रचार-प्रसार किया गया व मतदाताओं को प्रभावित किया गया। प्रश्नगत चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या-2936 रही, जिसमें से 1797 वैध मतदाताओं ने मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग किया और एक मतदाता ने डाक से अपना मत पत्र भेजा, कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1798 रही है, किन्तु विपक्षी संख्या-1 के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर विपक्षीगण 11 व 12 ने उन 37 व्यक्तियों का फर्जी मत डलवा दिया, जिनके नाम उपरोक्त संशोधित मतदाता सूची से निरस्त किये जा चुके थे। प्रश्नगत चुनाव में प्रयुक्त मतों में से अवैध मतों को विपक्षी संख्या-1 प्राप्त मतों में गणना की गयी तथा उसको भी प्राप्त मतों को विपक्षी संख्या-1 के मत में गणना कर ली गयी। प्रश्नगत चुनाव के मतगणना परिणाम में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष व विपक्षीगण द्वितीय पक्ष को प्राप्त मतों को व सभी अवैध मतों को सही तौर पर मतगणना परिणाम का जो चार्ट विपक्षी संख्या-9 रिर्टनिंग आफिसर/उपजिलाधिकारी सहजनवा गोरखपुर श्री सुरेश राय के हस्ताक्षर से जारी किया गया, उसमें दर्शित नहीं किया गया। प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में याचिनी को विपक्षी संख्या-1 से काफी अधिक मत प्राप्त हुए है। उक्त चुनाव में प्रयुक्त सभी मतों की विधिसम्मत ढंग से पुर्नमतगणना किये जाने पर याचिनी का वार्ड नम्बर-12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होना निश्चित है, किन्तु उसे विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों ने अविधिक तौर पर गलत मतगणना के आधार पर निर्वाचित घोषित होने से वंचित करा दिया। याचिनी प्रश्नगत चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों का

नियमानुसार गणना कराने व विपक्षी संख्या-1 के चुनाव परिणाम दिनांक-13.05.2023 को निरस्त कराने व नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के उपरोक्त सदस्य पद पर निर्वाचित घोषित होने की अधिकारी है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी ने कथन किया है किः-

वह जूनियर हाई स्कूल तक पढ़ा है। यह याचिका उसने और उसकी पत्नी ने दाखिल किया है। उसने चुनाव याचिका को पढ़ा है। यह चुनाव याचिका पति पत्नी दोनों लोग बनवाने आये थे दो चार दिन पहले राय लिये थे। उसे याद नहीं है कि जिस दिन याचिका तैयार हुइ थी, उस दिन दाखिल हुआ था। याचिका दाखिला के दिन पति पत्नी दोनों थे। याचिका उसकी पत्नी ने दाखिल किया है। उसकी जन्मतिथि 1982 है। उसकी पत्नी वार्ड 12 से चुनाव लड़ी थी। उसकी पत्नी के अलावा 10 उम्मीदवार थे, एक ने पर्चा वापस ले लिया था। कुल 10 बचे थे। उसकी पत्नी निर्दल उम्मीदवार थी। उसकी पत्नी का चुनाव चिन्ह उगता सूरज था। वार्ड नम्बर में कुल मतदाता 2336 लगभग है। वार्ड-12 की निर्वाचक नामावली 19.04.2023 को जारी हुई थी। उसकी नकल उसने नगर पंचायत से लिया था। निर्वाचक नियमावली की नकल नगर पंचायत से मिलती है। निर्वाचक नियमावली की नकल उसने इस पत्रावली में दाखिल किया है। उसके एजेन्ट ने बताया कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, वह वोट दिये हैं। फिर कहा कि उसमें से कुछ लोगों ने वोट दिया। वह कुछ लोग का नाम भाग संख्या 26 में पवन कुमार, सीमा, मीरा, लल्लन्, सत्यवान, प्रदीप बालगोविन्द, सत्येन्द्र, मुन्नी, बृजेश, मनोज अशोक, रविन्द्र, परमिला रविन्द्र यादव, सुनीता प्रेमशीला निर्मला इन्द्रजीत इन लागों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया था। वोटर लिस्ट में नहीं था। उसका वह एजेन्ट जिसने उपरोक्त बात बतायी थी, उसका नाम रामदयाल उर्फ दीनदयाल है। उसकी पत्नी ने उक्त मतदान की शिकायती प्रार्थना-पत्र वहाँ उपस्थित अधिकारी को दिया था उसका नाम नहीं बता सकता। अधिकारी ने शिकायती प्रार्थना-पत्र को वापस कर दिया। वह शिकायती पत्र वह इधर उधर कर दिया। चुनाव में कुल 1834 मत पडा था। वोट पड जाने के कारण मैने मतदान की कोई शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन आयोग को नहीं किया। वह अपनी पत्नी की तरफ से चुनाव प्रचार किया था। उसकी पत्नी के चुनाव अभिकर्ता रामदयाल उसके बड़े पिताजी के लडके के लडके है, जो उसके भतीजे लगते है। प्रियन्का के पति जहाँ काम करता है वहाँ वह भी काम करता है, तथा बी०जे०पी० के नेता है। उसकी पत्नी जनता के इच्छा पर और अपनी इच्छा पर चुनाव लड गयी। उसे वोट डालने नहीं दिया गया। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग ने करवाया है। विपक्षी संख्याा 10 ता 12 ही मतदान करवाये और उन्होनें ही मतगणना करवाया था। वह यह नहीं बता सकता कि विपक्षी संख्या-10 ता 12 प्रियन्का सिंह के रिश्तेदार है कि नहीं। वार्ड नं०-12 में कुल तीन बूथ बना था। उन बूथो की संख्या 26, 27 व 28 थी। बूथ संख्या- 26 व 27 में जिन लोगों का नाम निर्वाचन नामावली से कटना बताया है उन लोगों ने वोट डाला था यह बात उसके एजेन्ट ने बतायी थी। दोनों बूथो पर अलग अलग एजेन्ट थे। बूथ नं०-26 पर रामदयाल व 27 पर श्रीराम एजेन्ट था। वह उपरोक्त लोगों को अपनी आंखों से वोट डालते हुए नहीं देखा था। अवैध मत

पड़ने की शिकायत उसने अपने एजेन्ट के बताने पर की थी। वह पहुंचकर शिकायत किया तब अवैध मत पड़ना बंद हुआ। उसकी व एजेन्ट की शिकायत मौखित थी कोई लिखित शिकायत नहीं था। मतगणना में कुल 68 अवैध वोट था। जो अवैध मत था उनमे किसी पर धब्बा किसी पर दो निशान थे। प्रारूप 36 उसके सामने नहीं बना था। विपक्षी संख्या-1 को विजयी घोषित किये जाने के कारण वह जाना की प्रारूप 36 ग गलत भेजा गया है। उसके मतदाता उसके घर को लोग थे और उन्हीं लोगों को वोट नहीं डालने दिया गया। उन्हें रात में धमकी दी गयी थी यह धमकी प्रियंका सिह के पति विनय सिंह ने दिया था। इसकी शिकायत उसने किसी से नहीं किया था। यह कहना गलत है कि उसे मुकदमें की जानकारी नही है और वह अपनी पत्नी केनाते गवाही दे रहा है। यह भी कहना गलत है कि उसने अपनी पत्नी से अवैध धन वसूली के लिए चुनाव याचिका दाखिल कराया है।

विपक्षी संख्या-1 की ओर से **डी०डब्लू०-1** के रूप में **विजय कुमार** द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि:-

वह विपक्षी संख्या-1 का पति है। याचिनी द्वारा गलत तथ्यों के आधार पर यह याचिका प्रस्तुत की गयी है। याचिनी द्वारा याचिका के खण्ड 6 व 7 में लिया गया आधार निर्वाचक नियमावली से संबंधित होने के कारण मुताबिक कानून चुनाव याचिका का आधार नहीं हो सकता है न ही उसको देखने की क्षेत्राधिकारिता न्यायालय को ही है। विधि अनुसार निर्मित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं द्वारा डाले गये मत पत्रों की विधिनुरूप गणना करके प्रतिक्षेपित मत पत्रों की गणना कर उसे निकालकर विधि मान्य मतो की संख्या के अनुरूप गिनती करके परिणाम घोषित किया गया है। विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा विधिअनुसार गणना करके प्रारूप 36 ग तैयार किया गया और निष्पक्ष गणना की गयी है। किसी भी अवैध मत को विपक्षी के मतों में गणना नहीं की गयी थी। प्रतिक्षेपित मतो की संख्या- 70 थी। तृतीय पक्ष द्वारा निष्पक्ष मतगणना नियमानुसार वैध मतों की गिनती करके व विधि अनुसार चार्ट तैयार कर विपक्षी को सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण निर्वाचित घोषित किया गया है। विपक्षी संख्या-2 द्वारा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओं को धर्म, जाति, सम्प्रदाय के आधार पर न तो प्रचार प्रसार किया, न ही उन पर अनुचित दबाव बनाया और न ही किसी मतदाता के साथ उत्पीड़न किया गया और न ही क्षति पहुंचाने की धमकी दिया और न ही रूपये दारू मीट वितरित किया बल्कि याचिनी ने ही चुनाव जाति धर्म सम्प्रदाय मतदाताओं से अपने पक्ष में मतदान करने की एवं दारू, रूपया मीट बांटकर वोट लेने की पूरी कोशिश की है। याचिनी चुनाव की हार बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी जिसके चलते गलत तरीके स विपक्षी तृतीय पक्ष पर गलत दोषारोपण करते हुए व मतदाताओं पर गलत लांछन लगाते हुए उत्तरदाता को परेशान करने की गरज से चुनाव याचिका दाखिल की है। चुनाव मतगणना मे किसी भी प्रकार की कोई धांधली व गलती नहीं की गयी है न ही पुर्नमतगणना की कोई आवश्यकता है। याचिनी द्वारा चुनाव याचिका स्वयं उपस्थित होकर न तो प्रेषित की गयी है और न ही विधि अनुसार सत्यापित किया गया है।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि:-

वह गाहासाड, सहजनवा में स्थित कम्पनी के कवार्टर में रहता है और उसका मकान मोहल्ला केशवपुर गाहासाड नामक मुहल्ले में है। उसका मकान केशवपुर वार्ड में है। इस मुकदमें में उसने कोई बयानहल्की अपनी दाखिल किया है या नहीं, यह उसे याद नहीं। इस मुकदमे की पैरवी वकील साहब करते है, जिनका नाम श्री दिपेश मिश्रा, एडवोकेट है उनके अलावा और कोई इस मुकदमें की पैरवी नहीं करता है। प्रियंका सिंह पर्दानसीन महिला है। वह शिक्षित है और हाई स्कूल तक पढ़ी है। यह घरेलू महिला है। प्रियन्का सिंह इस मुकदमें की पैरवी करने केवल एक बार आयी है। यह केवल मुकदमा दाखिल करने दीवानी कचहरी में आयी थी। उसके बाद नहीं आयी। प्रियन्का सिंह नगर पंचायत सहजनवा के वार्ड नम्बर 12 गाहासाड, प्रथम से चुनाव लडी थी। उन्होने कब नामांकन पत्र दाखिल किया था, याद नहीं। उसने पर्चा किस तारीख को दाखिल किया था, याद नहीं है। उसके सभासद पद के लिए मतदान सम्भवतः 04 अप्रैल सन 2022 को हुआ था और मतों की गणना शायद 13 मई, 2022 को हुई थी। इस वार्ड में सभासद पद के कुल कितने मतदाता थे, याद नहीं है। उसका कोई चुनाव एजेन्ट नहीं था और उसका मतगणना एजेन्ट एक तो वह स्वयं था और दूसरा रामबदन यादव थे। उसको 297 मत मिले थे और कुसमावती देवी को 296 मत मिले थे। विवादित चुनाव में प्रियन्का सिंह वार्ड नम्बर 12 के सभासद पद की प्रत्याशी थी वह निर्दल प्रत्याशी थी। उनका चुनाव चिन्ह खडाऊ था। उस चुनाव के लिए प्रकाशित मतदाताओं की सख्या कितनी थी, नहीं मालूम। कितने मतदाताओं ने मतदान किया, नहीं गालूम। मतगणना में शायद 70 मत अवैध पाये गये। कितने मत वैध पाये गये थे, नहीं मालूम। निर्वाचक नियमावली (पूरक सूची नम्बर 1) के भाग 26 एवं 27 पर किस-किस क्रम के मतदाताओं का नाम निरस्त किया गया था, उसे नहीं मालूम। मतगणना में कुसमावती को 299 मत नहीं मिले थे, बल्कि 296 मत मिले थे। प्रियन्का के मतों में अवैध मतों को गिनने की आपत्ति हुई थी, उसे नहीं मालूम। इस चुनाव में निर्वाचन विभाग द्वारा जारी प्रारूप उसने नहीं देखा है इसलिए वह नहीं बता सकता कि वह सही जारी है, या गलत जारी है। उप जिलाधिकारी, सहजनवां, सुरेश राय तथा नायब तहसीलदार, सहजनवां अमित कुमार सिंह इस चुनाव में रिर्टनिंग आफिसर व सहायक रिर्टननिंग आफिसर थे कि नहीं, उसे याद नहीं है। मतगणना स्थल पर, मतगणना के समय कौन कौन से लोग उपस्थित, उसे याद नहीं है। मैं यहाँ याद करके नहीं बता पाउगा । उप जिलाधिकारी, सहजनवा तथा नायम तहसीलदार, सहजनवा मतगणना के समय मतगणना स्थल में थे या नहीं, मैं नहीं बता सकता। मतगणना के समय वार्ड नम्बर 12 के सभासद पद को मतों की गिनती जिस 12 के सभासद पद को मतों की गिनती जिस टेबुल पर हुई, वहा उसके अलावा और कौन कौन से व्यक्ति थे, उसे याद नहीं है। मतगणना वैध तरीके से की गयी थी। मतगणना में वैध व अवैध मतों को उसने देखा था और उसमें उसको 297 मत मिले थे। कुसमावती देवी द्वारा दाखिल इस चुनाव याचिका को उसने पढ़ा है, लेकिन याद नहीं है। जब उन्होने यह याचिका दाखिल किया था उसकी जानकारी होने पर याचिका की कापी पढ़ा था, उसके बाद नहीं पढे। इस याचिका में याची ने कौन कौन से कागज व साक्ष्य

दाखिल किये है, उसे नहीं मालूम। यह याचिका कुसमावती देवी ने जिस दिन दाखिल किया, उस दिन वह या प्रियन्का सिंह दीवानी कचहरी, गोरखपुर में नही आये थे। चुनाव याचिका दाखिल करने के 2-3 साल पहले उसकी व प्रियन्का सिंह की श्रीमती कुसमावती देवी से बातचीत होती थी, उसके बाद आज तक कभी भी बातचीत नहीं हुई। वह नहीं बता सकता कि कुसमावती देवी ने किस उद्देश्य से व किस अनुतोष के लिए यह चुनाव याचिका दाखिल किया है। उसे विपक्षी सख्या - 01 के चुनाव एजेन्ट का कोई कागज नहीं मिला था। प्रियन्का सिंह का चुनाव एजेन्ट कोई नहीं था। वह सभासदी का काम अपने क्षेत्र में या टाउन एरिया कार्यालय में जाकर नहीं करती है, केवल दस्तखत करने जाती है, उनका काम वह ही करता है, लेकिन जरूरत पड़ने पर वह दस्तखत करने जाती है।

डी०डब्लू०-2 के रूप में **रामबदन यादव** द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है किः-

वह विपक्षी संख्या-1 को जानता व पहचानता है। नगर पंचायत चुनाव के वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 तथा अन्य लोग प्रत्याशी थे। वह उक्त चुनाव में विपक्षी संख्या-1 के चुनाव अभिकर्ता के रूप में कार्य किया था, जिसके कारण उक्त चुनाव के चुनावी प्रक्रिया को भली भांति जानता है। वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में विपक्षी संख्या-1 तथा किसी अन्य प्रत्याशी ने जाति धर्म सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा था न ही चुनाव प्रचार प्रसार किया था न ही विपक्षी संख्या-1 ने किसी मतदाता को दारू मीट पैसा आदि दिया था न ही अवैध तरीके से मतदाताओं को प्रलोभित किया था। चुनावी प्रक्रिया नियमानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करके मतदान हुआ था कही पर भी कोई अवैध व फर्जी वोट नहीं पड़ा न ही मतगणना में ही कोई धाधली हुई थी बल्कि चुनाव में मतदान व मतगणना नियमानुसार निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपादित हुआ था। वार्ड नं०-12 के सभासद पद की गणना चुनाव अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी बिना किसी दबाव भेदभाव के किया गया था। नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी के प्राप्त मतो का चार्ट बनाकर सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण विपक्षी संख्या-1 को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी थी। याचिनी या उसके अभिकर्ता द्वारा मतदान या मतगणना में किसी प्रकार के धांधली की कोई शिकायत बरवक्त मतदान व मतगणना नहीं किया था अपितु मतदान व मतगणना शान्तिपूर्ण तरीके से निष्पादित हुआ था। लेकिन चुनाव हार जाने के कारण याचिनी लोगों के चढ़ाने पर गलत अभिकथनों के साथ याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव नियमानुसार वैध तरीके से संपन्न हुआ था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है किः-

उसे नहीं पता कि नगर पंचायत सहजनवां में कुल कितने वार्ड है एवं वार्ड नं०-12 किस नाम से है। वर्तमान चुनाव में वार्ड नं०-12 के कुल 10 वैध मतदाता थे। वर्तमान चुनाव में उपरोक्त मतदाताओं में से कितने मतदाताओं ने अपना मत दिया था उसे नहीं मालूम। वार्ड नं०-12 के सभासद पद के लिए जो मत पड़े उनमें से 70 मत अवैध पाए गए। वार्ड नं०-12 के सभी प्रत्याशियों का नाम उसे नहीं

मालूम केवल दो प्रत्याशियों का नाम मालूम है। उसका नाम नगर पंचायत सहजनवां निर्वाचक नामावली 2023 में पहले दर्ज था लेकिन बाद में कट गया और उस निर्वाचक नामावली में जिनका नाम कटा उसमें लाल स्याही से काट दिया गया था सूची वही थी। वार्ड नं०-12 की कुल तीन सूची थी। कुल 1864 वोट पड़े थे। डाक से एक वोट मिला था। यह कहना गलत है कि वार्ड नं०-12 के सभासद पद के लिए कुल 1834 वोट पड़े थे। इसमे से 70 वोट अवैध पाए गए थे बाकी जो वैध मत रह गए उसमें से दो प्रत्याशियों को मिले मतो को बता पाएगा बाकी अन्य प्रत्याशियों को प्राप्त मतो को वह नहीं बता पाएगा। उन दो प्रत्याशियों में से कुसमावती को 296 वोट तथा प्रियंका सिंह को 297 वोट मिले थे। कुसमावती व प्रियंका के बीच जीत हार में केवल एक वोट का अंतर था। उसके शपथ पत्र कागज संख्या-58 क की धारा-2 में लिखी बाते गलत है और उसने जो अभी उपर बयान दिया है वह सही है कि वह प्रियंका का चुनाव एजेन्ट नहीं था। वह प्रियंका सिंह का प्रचारक व समर्थक था। मतगणना में वह प्रियंका सिह का एजेन्ट था। कुसमावती के पति शिवदास यादव कुसमावती के मतगणना एजेन्ट थे। कुसमावती को प्राप्त मतो में प्राप्त दो मतो को अवैध मतो की गड्डी में रखे जाने पर उनके एजेन्टो ने आपत्ति किया था यह बात गलत है। सही यह है कि इस चुनाव में प्रत्याशियों को प्राप्त मतो की गणना तीन बार हुई थी। यह कहना गलत है कि वार्ड नं०-12 के सभासद पद के लिए पड़े मतों में कुल 68 अवैध मत थे। यह भी कहना गलत है कि मतगणना के दौरान याचिनी को मिले वैध मतो में से दो मतों को अवैध मतो की गड्डी में रखकर अवैध मतो की कुल संख्या 70 बतायी गयी। चुनाव घोषित होने से लेकर वोट पड़ने तक वह बराबर प्रियंका के साथ रहकर उनका प्रचार प्रसार किया था। उसके अलावा काफी लोग उसके जितना ही प्रियंका का चुनाव प्रचार किए थे। उनके नाम मंजीत सिंह, मुन्ना सिंह, रामकरन, रामभवन, उमा, देवेन्द्र, उपेन्द्र, शिवकुमार, पप्पू, विपिन, छोटेलाल, श्याम यादव थे। प्रियंका एक घरेलू महिला है कोई नौकरी चाकरी व व्यापार नहीं करती है। कुसमावती देवी व अन्य प्रत्याशियों अथवा उनके एजेन्टों द्वारा मतगणना के दौरान व चुनाव के दौरान कोई आपत्ति नहीं की गयी थी। मतदान दिनांक 04.04.2023 को हुआ था व मतगणना दिनांक 13.05.2023 को हुई थी व चुनाव परिणाम कब घोषित हुआ था उसे नहीं मालूम। मतगणना सुबह 8 बजे से लेकर 5 बजे तक हुई थी। तहसील पर तहसीलदार ने उसको मतगणना एजेन्ट नियुक्त किया था। इस चुनाव में कौन कौन से लोग चुनाव अधिकारी थे उसे नहीं पता। इस चुनाव के नियम व प्रक्रिया के संबंध में उसे केवल यह जानकारी है कि चुनाव में दारू, रूपया न बाटा जाए तथा सुरक्षित चुनाव हो इसके अलावा किसी अन्य चुनावी नियम या प्रक्रिया की उसे कोई जानकारी नहीं है। दस प्रत्याशियों को मिले मतों का चार्ट बना था। उस चार्ट को किसने बनाया था उसे नहीं पता। चूंकि मतगणना तीन बार हुई थी इसलिए पुर्नमतगणना की जरूरत नहीं है। प्रियंका सिंह विपक्षी संख्या-1 है। उसे प्रियंका सिंह ने गवाही देने के लिए नहीं कहा था परन्तु उनके पति विनय सिंह ने कहा था। वह प्रियंका सिंह के पति व वकील साहब के कहने पर आज गवाही देने आया है।

डी०डब्लू०-3 के रूप में **विन्जन सिंह** द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि:-

वह विपक्षी संख्या-1 को जानता व पहचानता है। नगर पंचायत चुनाव के वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 तथा अन्य लोग प्रत्याशी थे जिसमें उसकी पत्नी भी प्रत्याशी रही। वह उक्त चुनाव में अपनी पत्नी के चुनाव अभिकर्ता के रूप में कार्य किया था, जिसके कारण उक्त चुनाव के चुनावी प्रक्रिया को भली भांति जानता है। वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में विपक्षी संख्या-1 तथा किसी अन्य प्रत्याशी ने जाति धर्म सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा था न ही चुनाव प्रचार प्रसार किया था न ही विपक्षी संख्या-1 ने किसी मतदाता को दारू मीट पैसा आदि दिया था न ही अवैध तरीके से मतदाताओं को प्रलोभित किया था। चुनावी प्रक्रिया नियमानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करके मतदान हुआ था कही पर भी कोई अवैध व फर्जी वोट नहीं पड़ा न ही मतगणना में ही कोई धाधली हुई थी बल्कि चुनाव में मतदान व मतगणना नियमानुसार निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपादित हुआ था। वार्ड नं०-12 के सभासद पद की गणना चुनाव अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी बिना किसी दबाव भेदभाव के किया गया था। नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी के प्राप्त मतो का चार्ट बनाकर सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण विपक्षी संख्या-1 को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसमें किसी प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी थी। याचिनी या उसके अभिकर्ता द्वारा मतदान या मतगणना में किसी प्रकार के धांधली की कोई शिकायत बरवक्त मतदान व मतगणना नहीं किया था अपितु मतदान व मतगणना शान्तिपूर्ण तरीके से निष्पादित हुआ था। लेकिन चुनाव हार जाने के कारण याचिनी लोगों के चढ़ाने पर गलत अभिकथनों के साथ याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव नियमानुसार वैध तरीके से संपन्न हुआ था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि:-

वह हाई स्कूल फेल है। पहले वह अपने गाँव गाहासाड में अपने घर पर दुकानदारी करता था और सन् 2016 से सहजनवा स्टेशन के पास किराये की दुकान लेकर दुकानदारी करता है। नगर पंचायत, सहजनवा का चुनाव दिनाँक 13.05.2023 को घोषित हुआ था। चुनाव घोषित होने के बाद पर्चा दाखिल करने की, पर्चो को जाँच करने की, पर्चे को वापसी की कौन-कौन सी तारीखे घोषित हुई थी, उसे याद नही है। उसने पर्चा 12 या 13 अप्रैल को खरीदा था। सही सही तारीख याद नही है। वह इस चुनाव में स्वतः किसी पद का प्रत्याशी नहीं था। नगर पंचायत, सहजनवा के चेयरमैन एवं सभासद पदों का चुनाव हुआ था। नगर पंचायत, सहजनवा में कुल 33 या वार्ड है, फिर कहा कि 33 या 35 वार्ड नहीं है, केवल 16 वार्ड है। उन 16 वाडों का नाम वह नही बता पाएगा। उन 16 वार्डों में से किस नम्बर के वार्ड में कितने गाँव है, वह नहीं बता सकता। नगर पंचायत, सहजनवा के चेयरमैन पद व सभासद पदों के मतदान की कौन सी तिथि घोषित की गयी थी, उसे याद नही है। उन सभी पदों पर 04.05.2023 को वोट पड़े थे। कुसमावती देवी पत्नी शिवदास यादव उसके गाँव की है, लेकिन वह उन्हें पहचानता नही है। उसने प्रियन्का सिह का प्रचार इस चुनाव में नहीं किया था। वह प्रियन्का सिंह का चुनाव

एजेन्ट एवं मतगणना एजेन्ट नहीं था। कुसमावती व प्रियन्का सिंह वार्ड नम्बर 12 गॉहासाड व केशवपुर व जूट मिल वार्ड से लडी थी। इसी नाम से वार्ड नम्बर 12 है। इस पद के लिए 1700 कुछ मतदाताओं ने वोट दिया था। इस चुनाव में मतदाताओं की संशोधित निर्वाचक नामावलीव पूरक सूची चुनाव विभाग द्वारा जारी हुई थी, वह भाग संख्या 26, 27, 28 की थी कि नहीं, मैं नही बता सकता। तीनों बूथों में से किस बूथपर कितने मतदाता थे, नही बता सकता। किस बूथ पर कितने मत पडे, नहीं बता सकता। मतों की गणना 13.05.2023 को हुई थी। मतगणना में कितने मत अवैध पाये गये, नहीं बता सकता। कुसमावती देवी को 296 मत मिले थे, उषा देवी को 33 मत मिले थे, उषा देवी प्रियन्का सिंह की डमी कैन्डेडेट नही थी। उषा देवी व वह, प्रियन्का सिंह का प्रचार प्रसार नही किये थे। प्रियन्का सिंह को 297 वोट मिलना घोषित किया गया था। मतगणना के दौरान जो अवैध मत घोषित किये गये थे, उनको उसने नही देखा था तथा वह कहाँ रखे गये थे, उसने नहीं देखा। मतगणना के दौरान सभी प्रत्याशियों के मतों को उसने देखा था, लेकिन उसे याद नही है। मतगणना के समय वह मतगणना स्थल पर नहीं था, इसलिए वहाँ हुई। धांधली के सम्बन्ध में हुई शिकायत की उसे जानकारी नही है। जूट मिल पर बूथ था, उस बूथ पर मतदान के दौरान वह नहीं था, इसलिए वहाँ की धांधली के बारे में उसने सुना था, उसकी शिकायत हुई कि नही, वह नही बता सकता। प्रश्नगत चुनाव से सम्बन्धित चुनाव प्रक्रिया व उसके सम्बन्ध में हुई कार्यवाहियों के सम्बन्ध में वह नहीं बता सकता। वह केवल अपनी पत्नी उषा से सम्बन्धित बातें बता सकता है अन्य प्रत्याशियों से सम्बन्धित बातों को नहीं बता सकता। यह कहना गलत है कि उसने प्रियन्का सिंह को लाभ पहुँचानें के लिए उनके साजिश में होकर झूठा बयान दिया है।

डी०डब्लू०-4 के रूप में **दीन दयाल सिंह** द्वारा अपना साक्ष्य शपथ पत्र पर प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उसके द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है किः-

वह विपक्षी संख्या-1 को जानता व पहचानता है। नगर पंचायत चुनाव के वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 तथा अन्य लोग प्रत्याशी थे। वह उक्त चुनाव में एक प्रत्याशी सुधा के चुनाव अभिकर्ता के रूप में कार्य किया था, जिसके कारण उक्त चुनाव के चुनावी प्रक्रिया को भली भांति जानता है। वार्ड नं०-12 के सभासद पद के चुनाव में विपक्षी संख्या-1 तथा किसी अन्य प्रत्याशी ने जाति धर्म सम्प्रदाय के नाम पर वोट नहीं मांगा था न ही चुनाव प्रचार प्रसार किया था न ही विपक्षी संख्या-1 ने किसी मतदाता को दारू मीट पैसा आदि दिया था न ही अवैध तरीके से मतदाताओं को प्रलोभित किया था। चुनावी प्रक्रिया नियमानुसार निर्वाचक नामावली तैयार करके मतदान हुआ था कही पर भी कोई अवैध व फर्जी वोट नहीं पड़ा न ही मतगणना में ही कोई धाधली हुई थी बल्कि चुनाव में मतदान व मतगणना नियमानुसार निष्पक्ष पारदर्शी तरीके से संपादित हुआ था। वार्ड नं०-12 के सभासद पद की गणना चुनाव अधिकारियों द्वारा नियमानुसार निष्पक्ष तरीके से पारदर्शी बिना किसी दबाव भेदभाव के किया गया था। नियमानुसार प्रत्येक प्रत्याशी के प्राप्त मतो का चार्ट बनाकर सर्वाधिक मत प्राप्त होने के कारण विपक्षी संख्या-1 को निर्वाचित घोषित किया गया था, जिसमें किसी

प्रकार की कोई अनियमितता नहीं की गयी थी। याचिनी या उसके अभिकर्ता द्वारा मतदान या मतगणना में किसी प्रकार के धांधली की कोई शिकायत बरवक्त मतदान व मतगणना नहीं किया था अपितु मतदान व मतगणना शान्तिपूर्ण तरीके से निष्पादित हुआ था। लेकिन चुनाव हार जाने के कारण याचिनी लोगों के चढ़ाने पर गलत अभिकथनों के साथ याचिका दाखिल कर दी है। चुनाव नियमानुसार वैध तरीके से संपन्न हुआ था।

प्रतिपरीक्षा में इस साक्षी द्वारा मुख्य रूप से कथन किया गया है कि:-

वह इण्टर करके डी०एल०एड० किया है। नगर पंचायत चुनाव 2023 में हुआ था, उसमें कुल 16 वार्ड है। उस चुनाव का नोटिफिकेशन 13 अप्रैल 2023 को हुआ था। नामांकन कब हुआ था ध्यान नहीं है। नामांकन सुधा सिंह ने किया था। अन्य नामांकनकर्ताओं का नाम याद नहीं है। सुधा देवी ने वार्ड नं०-12 से नामांकन किया था। उस वार्ड का नाम केशवपुर है। 12 नंबर वार्ड में कुल 10 मतदाता थे। लगभग एक हजार मतदाताओं ने उस चुनाव में अपने मत का प्रयोग किया था। मतदान 5 अप्रैल 2023 को हुआ था। मतगणना 13 अप्रैल 2023 को हुई थी। याची शब्द का अर्थ जो मुकदमा किया हो होता है। इस मुकदमे का याची कौन है नाम याद नहीं आ रहा है। इस मुकदमे के विपक्षी केवल एक ही लोग होंगे अन्य कोई विपक्षी इस मुकदमे में नहीं है। इस मुकदमे में उसे विनय सिंह गवाही देने के लिए बुलाए है। उनकी पत्नी का नाम नहीं जानता है। फिर कहा कि याद नहीं आ रहा है। विनय सिंह की पत्नी इस मुकदमे की पक्षकार है यह बात उसे विनय सिंह ने बतायी है। वह विनय सिंह की पत्नी का चुनाव एजेन्ट या मतगणना एजेन्ट नहीं था। कुसमावती देवी शिवदास यादव की पत्नी है। इस चुनाव में उसने केवल सुधा सिंह का प्रचार किया था। अन्य किसी प्रत्याशी का प्रचार नहीं किया था। सुधा देवी वार्ड ना०-12 से चुनाव लड़ी थी। केशवपुर वार्ड में 5 या 6 जगह मतदान बूथ थे। उन मतदान बूथ के नाम वह नहीं बता पाएगा। मतगणना कम से कम 8-10 टेबिल पर हुई थी। वह जिस टेबिल पर था उस पर सुधा देवी का मतगणना एजेन्ट था और उस टेबिल पर सुधा देवी के अलावा अन्य प्रत्याशियों के अन्य कौन कौन मतगणना एजेन्ट थे वह नहीं बता सकता। उसके टेबिल पर लगभग ग्यारह बारह सौ मतो की मतगणना हुई थी। उसके टेबिल पर कुल कितने मत अवैध पाए गए वह नहीं बता सकता। वह केवल सुधा देवी के उस टेबिल के अवैध मतो को बता सकता है, जिनकी संख्या- 43 या 48 थी। वार्ड नं०-12 के सभासद प्रत्याशियों को प्राप्त मतो को वह बता सकता है जिनमें सुधा देवी को 234 मत और विनय सिंह के प्रत्याशी जिनके पक्ष में वह गवाही देने आया है उनको 297 मत और जिसके खिलाफ गवाही देने आया है उनको 296 मत प्राप्त थे। इसके अलावा भोलू सिंह की पत्नी को 223 मत और अन्य प्रत्याशियों को प्राप्त मतों के वह नहीं बता पा रहा है। इस चुनाव से पहले जो मतदाता सूची बनी थी उसमें कोई संशोधन हुआ था या नहीं उसे नहीं मालूम। उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि जो मतदाता सूची पहले बनी थी उसमें से जिनका नाम निरस्त हो गया व पूरक मतदाता सूची जारी हुई उसके बाद भी इस चुनाव में जिनके नाम मतदाता सूची से निरस्त हो गये थे उन्होंने मतदान किया। वार्ड नं०-12 के सभी मतदाताओं को वह व्यक्तिगत रूप से जानता

पहचानता नहीं है। इस चुनाव में उसके हिसाब से डाक से एक मत मिला था। इस चुनाव में रिटर्निंग आफिसर व सहायक रिटर्निंग आफिसर कौन था वह नहीं बता सकता। वह उपजिलाधिकारी सहजनवा व नायब तहसीलदार सहजनवां को नहीं जानता पहचानता है। इस चुनाव में उन लोगों की ड्यूटी लगी थी किस पद पर लगी थी नहीं बता सकता। यह बात उसे किसी ने नहीं बताया नहीं था। उसने इस मुकदमे में अपनी कोई लिखित बयान नहीं दिया है। वह बयान देने विनय सिंह के साथ कचहरी आया है और विनय सिंह के बताने पर उसने बयान दिया है। यह कहना गलत है कि उसने विनय सिंह के कहने पर इस मुकदमे में झूठा बयान दिया है। सुधा सिंह उसकी पत्नी नहीं है। सुधा सिंह के पति जीवित है उनका नाम याद नहीं आ रहा है। सुधा सिंह का वह एजेन्ट था इसका कोई प्रमाम उसके पास नहीं है। यह कहना गलत है कि विवादित चुनाव के बारे में वह कुछ नहीं जानता है। यह भी कहना गलत है कि वह उस मुकदमे में झूठा बयान दिया है।

विपक्षी संख्या-1 द्वारा अपने तर्क के समर्थन में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा MATTER UNDER ARTICLE 227 No. 6562/2029, Ashok Kumar vs. Md. Hasnain and 9 Others, Order Dated 13.09.2019 एवं Rohit Kumar vs. State of U.P. & Ors. 2023 (3) JCLR 311 (All) के मामले में प्रतिपादित विधि व्यवस्था प्रस्तुत की गयी है।

उभयपक्षों के विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी एवं पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य तथा लिखित बहस का सम्यक परिशीलन किया।

निष्कर्ष

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-2, 3, 4 एवं 5

ये वाद बिन्दु विपक्षीगण की ओर से दी गयी आपत्तियों के आधार पर विरचित किये गये है, जिनके संबंध में विपक्षी की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता द्वारा अपने तर्क के दौरान कहा गया कि न्यायालय द्वारा दिनांक 04.11.2023, 16.11.2023 एवं 07.12.2023 को क्रमशः प्रार्थना पत्र 20ग, 18ग ए वं 19ग का निस्तारण करते हुए तत्संबंधी आपत्तियों को निस्तारित किया जा चुका है। अतः इस स्तर पर बल न दिये जाने के कारण उक्त वाद बिन्दुओं के अलग-अलग निस्तारण की आवश्यकता नहीं है।

इस संबंध में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.11.2023 द्वारा विपक्षीगण की ओर से दिये गये प्रार्थना पत्र 20ग का निस्तारण करते हुए विस्तारपूर्वक विश्लेषण किया गया है और न्यायालय द्वारा यह निष्कर्ष निकाला गया है कि न्यायालय को उक्त चुनाव याचिका की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। दिनांक 16.11.2023 को विपक्षी संख्या-1 की ओर से प्रार्थना पत्र 18ग इस आशय का दिया गया कि चुनाव याचिका में सिविल प्रक्रिया संहिता के प्रावधान लागू होते है, जिनका पालन किये बिना यह याचिका पोषणीय नहीं है, जो कि वाद बिन्दु संख्या- 4 के समतुल्य है। इस संबंध में न्यायालय द्वारा दिनांक 16.11.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र के विस्तारपूर्वक

विश्लेषण के उपरांत प्रार्थना पत्र निरस्त करते हुए निस्तारित किया जा चुका है। अतः वाद बिन्दु संख्या- 4 नकारात्मक रूप से निस्तारित किये जाने योग्य है।

दिनांक 07.12.2023 को विपक्षीगण की ओर से प्रार्थना पत्र 19 ग प्रस्तुत कर याचिका को उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम की धारा- 20 के आधार पर कालबाधित एवं विधिक प्रावधानों के विरूद्ध होने के आधार पर पोषणीय नहीं होने का अभिकथन किया गया है, जो कि वाद बिन्दु संख्या- 2 एवं 3 के समतुल्य है। उक्त प्रार्थना पत्र का भी निस्तारण विस्तारपूर्वक न्यायालय द्वारा करते हुए दिनांक 07.12.2023 को उक्त प्रार्थना पत्र निरस्त किया गया जिसके प्रकाश में उक्त वाद बिन्दु 2 एवं 3 नकारात्मक रूप से निस्तारित किये जाने योग्य है। तद्नुसार निस्तारित किये जाते है। न्यायालय के आदेश दिनांकित 04.11.2023, 16.11.2023 एवं 07.12.2023 इस निर्णय के भाग है।

इस स्तर पर यह तथ्य उल्लेखनीय है कि विपक्षी की ओर से किये गये अभिवचनों के आधार पर वाद बिन्दु संख्या-05 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या याचिका मौन सम्मति एवं विबन्धन के सिद्धान्त से बाधित है ? बहस के स्तर पर विद्वान अधिवक्ता द्वारा उक्त वाद बिन्दु पर बल नहीं दिया गया है। अतः वाद बिन्दु निरस्त करते हुए नकारात्मक रूप से निस्तारित किया जाता है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-1

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या याची नगर पंचायत सहजनवां, जिला- गोरखपुर के वार्ड नं०- 12 गाहासाड़ प्रथम के सदस्य पद के चुनाव दिनांक 04.05.2023 में प्रयुक्त मतों की नियमानुसार पुर्नमतगणना कराकर निर्वाचित घोषित होने की अधिकारी है ?

विधि द्वारा अपने मामले को साबित करने का भार याचिनी पर अधिरोपित किया गया है। याचिनी का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने अभिकथनों में तात्विक तथ्यों को वर्णित करे तथा अभिकथनों के समर्थन में साक्ष्य प्रस्तुत कर अपना मामला साबित करे। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा **कनीमोझी करुणानिधि बनाम ए० सन्थाना कुमार एवं अन्य 2023 एस०सी०सी० आनलाईन एस०सी० 573** के वाद में यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

> चुनाव याचिका में उन "महत्वपूर्ण तथ्यों" का संक्षिप्त विवरण होना चाहिए, जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर करता है। "महत्वपूर्ण तथ्य" वे तथ्य हैं जो यदि सिद्ध हो जाएं तो याचिकाकर्ता को अपेक्षित अनुतोष प्राप्त हो जाएगा।

इसी प्रकार **उद्धव सिंह बनाम माधवराव सिन्धिया (ए०आई०आर० 1976 एस०सी० 744)** के वाद में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा यह अभिनिर्धारित किया गया है कि:-

> वह सभी प्राथमिक तथ्य जिन्हें किसी पक्षकार द्वारा मुकदमे में वाद हेतु अथवा अपने बचाव के अस्तित्व को स्थापित करने के लिए साबित किया जाना आवश्यक है, वह तात्विक तथ्य हैं।

उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा-19 प्रावधानित करती है किः-

19. याचिका द्वारा नगरपालिका चुनाव पर आपत्ति करने की शक्ति- (1) [नगरपालिका] के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव को चुनाव याचिका द्वारा निम्न आधार पर आपत्ति की जा सकेगी.-

(क) यह कि उस व्यक्ति ने धारा 28 में यथापरिभाषित भ्रष्ट आचरण को चुनाव की कार्यवाहियों के दौरान या उसके सम्बन्ध में कारित किया था:

(ख) यह कि उस व्यक्ति को एक या अधिक मतों की असमुचित अस्वीकृति या स्वीकृति के कारण या किसी अन्य कारण से निर्वाचित घोषित किया गया था उसे विधिपूर्ण बहुमतों द्वारा सम्यक रूप से निर्वाचित नहीं किया गया था;

(ग) यह कि वह व्यक्ति चुनाव के लिए उम्मीदवार के रूप में नाम-निर्देशित किये जाने हेतु अर्हित नहीं था अथवा यह कि याची का नामांकन पत्र असमुचित ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया था।

(2) [नगरपालिका] के सदस्य के रूप में किसी व्यक्ति के चुनाव के सम्बन्ध में इस आधार पर आपत्ति नहीं की जायेगी.-

(क) कि मतदान करने के लिए अर्हित किसी भी व्यक्ति के नाम का निर्वाचन पंजी या पंजियों से लोप किया गया है, अथवा मतदान करने के लिए अनर्हित किसी भी व्यक्ति के नाम को निर्वाचन पंजी या पंजियों में अन्तःस्थापित किया गया है;

(ख) इस अधिनियम या किसी नियम का अनुपालन किया गया है. या एतद्वारा अपेक्षित प्रपत्रों में कोई भूल है, या किसी ऐसे अधिकारी या अधिकारियों ने, जिस पर या जिन पर इस अधिनियम या किन्हीं नियमों को कार्यान्वित करने का भार सौंपा गया हो, कोई त्रुटि, अनियमितता या अनौपचारिकता की है, जब तक कि ऐसा अननुपालन, भूल, त्रुटि या अनौपचारिकता का निर्वाचन के परिणाम पर कोई सारवान प्रभाव न पड़ा हो।

धारा- 20. चुनाव याचिकाओं का प्ररूप और प्रस्तुतीकरण- (1) चुनाव का परिणाम जिसे चुनौती दिये जाने का प्रयास किया गया है, को रिटर्निंग अधिकारी द्वारा घोषित किये जाने के दिन के पश्चात् तीस दिन के भीतर चुनाव याचिका प्रस्तुत की जायेगी और वह उस आधार या उन आधारों को विनिर्दिष्ट करेगा जिन पर प्रत्युत्तरदाता के चुनाव को चुनौती दी गयी है और उसमें उन तात्विक तथ्यों का सूक्ष्म कथन अन्तर्विष्ट होगा जिस पर याची ने निर्भर किया है और किसी अपराध के चलनों जिनका याची ने अभिकथन किया है कि सम्पूर्ण विशिष्टयों को प्रस्तुत करेगा जिसमें उन पक्षकारों के नामों का जिन्होंने उन भ्रष्ट चलनों को कारित किया है तथा ऐसे प्रत्येक चलन के कारित किये जाने की तारीखों तथा स्थान का, जहाँ तक सम्भव हो पूर्ण कथन सम्मिलित होगा।

(2) याचिका पर याची द्वारा हस्ताक्षर किये जायेंगे और उसे अभिवचनों के सत्यापन के लिए सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का 5) में निर्दिष्ट रीति से सत्यापित किया जायेगा।

(3) याचिका को किसी ऐसे उम्मीदवार द्वारा, जिसके पक्ष में मतों को अभिलिखित किया गया है और जिसने उस व्यक्ति के स्थान पर निर्वाचित घोषित किये जाने के लिए याचिका में दावा किया है जिसके चुनाव को चुनौती दी गयी है अथवा नगरपालिका के दस या अधिक निर्वाचकों द्वारा अथवा ऐसे व्यक्ति द्वारा जिसने यह दावा किया है कि उसका नामांकन-पत्र असमुचित ढंग से अस्वीकृत कर दिया गया है, प्रस्तुत किया जा सकेगा।

(4) वह व्यक्ति जिसके चुनाव के सम्बन्ध में आपत्ति की गई हो और जहाँ याची यह दावा करे कि ऐसे व्यक्ति के स्थान पर अय कोई व्यक्ति निर्वाचित घोषित किया जाये तो प्रत्येक हारा हुआ उम्मीदवार जो याचिका में याची न हो, याचिका में प्रत्यर्थी बनाया जायेगा ।]

(5) याचिका, उस क्षेत्र में जिसमें नगरपालिका, जिससे चुनाव याचिका का सम्बन्ध है, स्थित है क्षेत्राधिकार का प्रयोग करते हुए जिला न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत की जायेगी:

परन्तु यह कि याचिका को जिला न्यायाधीश द्वारा ग्रहण नहीं किया जायेगा जब तक कि यह दर्शित करते हुए ट्रेजरी चालान को उसके साथ संलग्न न किया गया हो कि निर्धारित प्रतिभूति निक्षेपित की जा चुकी है।

धारा-28. भ्रष्ट आचरण- ऐसे किसी भी व्यक्ति का भ्रष्ट आचरण को कारित करना समझा जायेगा जो प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्ष रूप से स्वंय द्वारा या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा,-

(i) किसी भी मतदाता को किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने अथवा मत देने से विरत रहने के लिए कपट, साशय दुर्व्यपदेशन, बल प्रवर्तन या उपहति की संतर्जना द्वारा उत्प्रेरित करता है, अथवा उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है;

(ii) किसी भी उम्मीदवार के पक्ष में मत देने के अथवा मत देने से विरत रहने के लिए किसी भी मतदाता को उत्प्रेरित करने के उद्देश्य से, किसी धन अथवा मूल्यवान प्रतिफल, अथवा कोई स्थान, अथवा नियोजन का प्रस्ताव करता है या देता है, अथवा किसी भी व्यक्ति को कोई भी व्यक्तिगत लाभ अथवा फायदे के वचन का प्रस्ताव करता है;

(iii) किसी मतदाता के नाम से मत को देता है या दिलवाता है जो उस मत को देने वाला व्यक्ति नहीं है:

(iv) भारतीय दण्ड संहिता (1860 का 45) के अर्थातंर्गत खण्ड (i), (ii) एवं (iii) में विनिर्दिष्ट कृत्यों में से किसी को करने का दुष्प्रेरण करता है;

(v) किसी उम्मीदवार या निर्वाचक को यह विश्वास करने के लिए उत्प्रेरित करता है या उत्प्रेरित करने का प्रयास करता है कि वह, अथवा कोई ऐसा

व्यक्ति जिसमें वह रुचि रखता हो, आलौकिक अप्रसाद या आध्यात्मिक परिनिन्दा का पात्र बन जायेगा या हो जायेगा;

(vi) जाति, समुदाय, सम्प्रदाय या धर्म के आधारों पर संयाचना करता है;

(vii) ऐसे अन्य आचरण को कारित करता है जिसे 'राज्य सरकार], नियम द्वारा, भ्रष्ट आचरण नियत कर सकेगी।

स्पष्टीकरण "व्यक्ति को निजी लाभ अथवा फायदे का वचन में स्वंय उस व्यक्ति के, अथवा किसी ऐसे व्यक्ति के लाभ के लिए जिसमें वह रुचि रखता है, वचन सम्मिलित है, लेकिन इसमें किसी नगरपालिका की किसी विशेष कार्यवाही के लिए या उसके विरुद्ध मत देने का वचन सम्मिलित नहीं है।

वाद बिन्दु संख्या-01 याचिनी एवं विपक्षी के अभिवचनों के आधार पर विरचित किया गया है, जिसे साबित करने का भार याचिनी पर है।

इस संबंध में याची की ओर से अभिकथन किया गया है कि नगर पंचायत चुनाव सहजनवां के अध्यक्ष एवं सदस्य पद हेतु जो निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई। वार्ड संख्या-12 गाहासाड़ प्रथम की जारी हुई। उसके भाग 26 की याचिका में उल्लिखित मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से निरस्त कर दिये गये और उक्त नामावली के भाग 27 के याचिका में उल्लिखित क्रमांक वाले व्यक्तियों के नाम निर्वाचन नामावली में निरस्त होने के बावजूद उन लोगों के मतदान पर याचिनी एवं उसके चुनाव अभिकर्ता की आपत्ति करने के बावजूद उपरोक्त लोगों द्वारा अपने मतदान का प्रयोग अवैधानिक रूप से विपक्षीगण तृतीय पक्ष द्वारा करवा दिया गया, जिससे भी प्रश्नगत पद का चुनाव परिणाम प्रभावित हुआ। इस प्रकार भाग संख्या-26 में कुल मतदाताओं की संख्या-973 में से 911 और भाग संख्या-27 के कुल मतदाताओं 982 में 924 व भाग संख्या- 28 के कुल मतदाताओं 1119 में से 1101 मतदाताओं को वैध मानकर तथा अवशेष मतदाताओं का नाम मतदाता सूची से हटाकर संशोधित निर्वाचक नियमावली 2023 (पूरक सूची-1) जारी हुई, किन्तु उपरोक्त संशोधित निर्वाचक नामावली के विपरीत भाग संख्या- 26 के विपरीत कुल 16 मत तथा भाग संख्या-27 के विपरीत 16 मत इस प्रकार कुल 37 अवैध मत याचिनी एवं उसके प्रतिनिधि की आपत्ति के बावजूद विपक्षीगम 11 व 12 ने विपक्षी संख्या-01 एवं उसके मेली मद्दगार के प्रभाव और दबाव में आकर डलवा दिये और उन 37 अवैध मतों सहित प्रश्नगत चुनाव में कुल 1834 मत पड़े और एक मत डाक से प्राप्त हुआ। इस प्रकार कुल मतों की संख्या-1835 रही। मतगणना के दौरान याचिनी व उसके मतगणना अभिकर्ता की आपत्ति के बावजूद नगर पंचायत सहजनवां निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-1) भाग संख्या-27 द्वारा निरस्त किये गये 16 मतदाताओं के मतपत्रों को तथा भाग संख्या-26 द्वारा निरस्त किये गये 24 मतदाताओं के मतपत्रों को कुल 37 अवैध मतों को भी वैध मतों में मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणामों को प्रभावित किया गया। उपरोक्त 37 अवैध मतों को विधि विरूद्ध ढंग से विपक्षी संख्या-1 को प्राप्त मतों में गणना कर उसे 297 मत प्राप्त होना तथा याचिनी को मात्र 297 मत प्राप्त होना दर्शित किया गया, जबकि

याचिनी को कुल 299 मत प्राप्त हुए थे, जिनमें से 1 मत विपक्षी संख्या-2 के मतों में तथा 2 मतों को अवैध मतो की गड्डी में रख दिये गये। जबकि कुल अवैध मतों की संख्या मात्र 68 गणना के समय थी। प्रश्नगत चुनाव में उम्मीदवारों के पक्ष में मतदान, स्थलवार विधिमान्य मतों का जो विवरण दिनांक-13.05.2023 को विपक्षी संख्या- 11 ने राज्य निर्वाचन आयोग उत्तर प्रदेश को प्रारूप 36 ग पर प्रेषित किया। उसमे याचिनी को 296 मत व विपक्षी संख्या-1 को 297 मत तथा विपक्षी संख्या-2 को 123 मत व विपक्षी संख्या-3 को 33 मत व विपक्षी संख्या-4 को 18 मत व विपक्षी संख्या-5 को 11 मत व विपक्षी संख्या-6 को 280 मत तथा विपक्षी संख्या-7 को 262 मत व विपक्षी संख्या-8 को डाक से प्राप्त 1 मत सहित कुल 227 मत व विपक्षी संख्या-9 को 218 मत प्राप्त होना एव विधिमान्य मतों की कुल संख्या-1764 तथा याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को कुल प्राप्त मतों की संख्या-1765 व प्रतिक्षेपित (रदद) मतों की कुल संख्या-70 दर्शित किया और उसके विपरीत उसी तिथि दिनांक 13.05.2023 को विपक्षी संख्या-11 ने राज्य निर्वाचन आयोग को प्ररूप- 37 पर प्रश्नगत चुनाव में याचिनी व विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त वैध मतों का जो विवरण प्रेषित किया, उसमें याचिनी को 296 मत विपक्षी संख्या-1 को 297 मत विपक्षी संख्या-2 को 124 मत व विपक्षी संख्या-3 को 33 मत विपक्षी संख्या-4 को 18 मत विपक्षी संख्या-5 को 11 मत, विपक्षी संख्या 6 को 280 मत, विपक्षी संख्या-7 को 262 मत, विपक्षी संख्या-8 को 227 व विपक्षी संख्या 9 को 218 मत तथा विधिमान्य मतों एंव याचिनी तथा विपक्षीगण 1 ता 9 को प्राप्त कुल मतों की संख्या ओवरराइटिंग कर 1766 एंव डाले गये कुल मतों की संख्या-1836 दर्ज कर विपक्षी संख्या-1 को निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में अवैध रूप से चयनित दर्शित किया। विपक्षीगण 11 व 12 ने विपक्षी संख्या 1 व उसके सगे सम्बन्धियों के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर भ्रष्ट आचरण करते हुए अविधिक तौर पर निर्वाचन व निर्वाचन परिणाम को प्रभावित कर विपक्षी संख्या-1 को प्रश्नगत सदस्य पद पर निर्वाचित होना घोषित किया गया है। प्रश्नगत चुनाव के मतदाताओं को विपक्षी संख्या-1 के पक्ष में मतदान देने के लिए रूपये, दारू, व मीट विपक्षी संख्या-1 व उसके सहयोगियों द्वारा वितरीत किये गये। नगर पंचायत सहजनवा, गोरखपुर के वार्ड नम्बर-12 गाहासाड प्रथम के बूथ नम्बर-26 व 27 पर निर्वाचक नामावली 2023 (पूरक सूची-I) से बाहरी व्यक्तियों द्वारा फर्जी मतदान चुनाव कर्मियो को व पीठासीन अधिकारी को अपने अनुचित प्रभाव व दबाव में लेकर विपक्षी संख्या-1 द्वारा कराये गये और बूथ नम्बर-26 व 27 पर उसके समर्थक मतदाताओं को मतदान करने से जबरदस्ती विपक्षीगण 11 व 12 ने रोक दिया। उसके पक्ष में मतदान करने वाले मतदाताओं का प्रपीड़न किया गया और उन्हें क्षति पहुंचाने की धमकी दी गयी, जिसकी वजह से उसके सभी मतदाताओं ने मतदान में भाग नहीं लिया और कुछ मतदाताओं ने अनुचित दबाव, प्रपीड़न व क्षति पहुंचाये जाने की धमकी दिये जाने पर विपक्षी संख्या-1 को मत दिया। प्रश्नगत चुनाव में जाति, सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मत देने के लिए विपक्षी संख्या-1 द्वारा मतदाताओं पर अनुचित दबाव बनाया गया। विपक्षी संख्या-1 व उसके पति तथा उनके पति के समर्थकों द्वारा जाति सम्प्रदाय व धर्म के आधार पर मतदान के लिए प्रचार-प्रसार किया गया व मतदाताओं को प्रभावित किया गया। प्रश्नगत

चुनाव में कुल मतदाताओं की संख्या-2936 रही, जिसमें से 1797 वैध मतदाताओं ने मतदान स्थल पर अपने मत का प्रयोग किया और एक मतदाता ने डाक से अपना मत पत्र भेजा, कुल प्रयुक्त मतों की संख्या-1798 रही है, किन्तु विपक्षी संख्या-1 के अनुचित प्रभाव व दबाव में होकर विपक्षीगण 11 व 12 ने उन 37 व्यक्तियों का फर्जी मत डलवा दिया, जिनके नाम उपरोक्त संशोधित मतदाता सूची से निरस्त किये जान चुके थे। प्रश्नगत चुनाव में प्रयुक्त मतों में से अवैध मतों को विपक्षी संख्या-1 प्राप्त मतों में गणना की गयी तथा उसको भी प्राप्त मतों को विपक्षी संख्या-1 के मत में गणना कर ली गयी। प्रश्नगत चुनाव के मतगणना परिणाम में याचिनी व विपक्षी संख्या-1 प्रथम पक्ष व विपक्षीगण द्वितीय पक्ष को प्राप्त मतों को व सभी अवैध मतों को सही तौर पर मतगणना परिणाम का जो चार्ट विपक्षी संख्या-9 रिर्टनिंग आफिसर/उपजिलाधिकारी सहजनवा गोरखपुर श्री सुरेश राय के हस्ताक्षर से जारी किया गया, उसमें दर्शित नहीं किया गया। याचिनी द्वारा पी०डब्लू०-1 के रूप में अपनी मुख्य परीक्षा में शपथपत्र पर अपना बयान प्रस्तुत किया गया है और समर्थन में पी०डब्लू०-2 का बयान अंकित कराया गया है।

विपक्षीगण की ओर से की गयी प्रतिपरीक्षा में याचिनी द्वारा कथन किया गया है कि:-

वह पढ़ी लिखी नहीं है। निशानी अंगूठा लगाती है। उसने अपने द्वारा दाखिल दावा बयान व विपक्षी द्वारा दाखिल जवाब को अपने पति से पढ़वाकर सुना। दावा बनवाने उसके पति आये थे और उन्होने ही दावा दाखिल कराया। बादहू स्वयं कहा वह भी साथ में आयी थी। जिस दिन दावा बना था उसी दिन दावा दाखिल हुआ था। उसे नहीं मालूम की विपक्षी सं०-1 निर्दल उम्मीदवार थी कि किसी पार्टी की प्रत्याशी थी। वह प्रियंका सिंह को जानती है। उसे याद नहीं है कि प्रियंका सिंह से उसकी जान पहचान कब से है। उसे यह नहीं मालूम कि नगर पंचायत सहजनवा में कुल कितने वार्ड है। उसने इस मुकदमें में मतगणना को चुनौती दिया है, मतदान को नहीं। चुनाव में उसका चुनाव चिन्ह उगता हुआ सूरज था। वोटर लिस्ट में किसी का नाम गलत दर्ज नहीं था। यह बात कि वोटर लिस्ट से कुछ लोगों का नाम कट गया है, उसके पति ने बताया था। उसे यह याद नहीं है कि किसका किसका नाम वोटर लिस्ट से कट गया है। उसने वोटर लिस्ट का कागज इस मुकदमे में दाखिल किया है। उसने अपने बयान में जो निर्वाचक नियमावली के नामों का वर्णन किया है वह अपने पति के बताने पर किया है। वार्ड संख्या 12 में कुल 03 भाग बने थे और कुल 03 बूथ बने थे। पहला बूथ जूट मिल में था दूसरा और तीसरा गाहासाड में था। इन तीनों बूथों पर उसके एजेन्ट थे। जिनमें से एक पर श्रीराम यादव और दूसरे एवं तीसरे बूथ पर दीनदयाल यादव थे। मतगणना में उसके एजेन्ट उसके पति थे। वह मतगणना स्थल पर नहीं थी। चुनाव वोटिंग मशीन से नहीं हुआ था, बल्कि बैलेट पेपर से हुआ था। उसे यह नहीं मालूम कि मतगणना में उसके एजेन्ट ने लिखित शिकायत किया था कि मौखिक। वह 299 वोट पायी थी। प्रियंका का उसे पता नही है कितना वोट पायी थी। अन्य लोग जो लडे थे वह कितना वोट पाये थे, वह भी उसे नहीं मालूम। 299 वोट पाने की बात उसके पति ने उसे बताया था। वह मतगणना स्थल पर नहीं थी। उसके पति मतगणना के बाद घर पर आकर बताये थे। यह उसे

नहीं मालूम कि कुल कितना अवैध मत था। गणना के बाद वह चुनाव जीती थी। जीतने का प्रमाण-पत्र उसे नहीं मिला था। विपक्षी सं0-1 के पति जूट मिल में लाइन बनाते हैं। प्रियन्का कुछ नहीं करती है। घरेलू महिला हैं। विपक्षी सं0-1 के पति कोई नेता या अधिकारी नहीं है। वह चुनाव जीती थी, लेकिन उसे किसी ने बुलाया नहीं, इसलिए उसने मुकदमा कर दिया। इस मुकदमें से वह चाहती है कि फिर से मतगणना हो, फिर से वोट न पड़े। मतगणना इसलिए हो क्योंकि मौके पर जो लोग थे वह उसे हरा दिये। मतगणना में उसे किसने हराया, उसे नहीं मालूम। चुनाव प्रचार में दारू, मीट, रूपया विनय बाँट रहे थे। वह किसी का नाम नहीं जानती है कि किसको रूपया दारू मीट बाटें। उसके सामने दारू रूपया, मीट नहीं बटा था। उसके पति जानते हैं। विनय चुनाव लडे थे। उसे यह नहीं मालूम है कि मतगणना में पीठासीन अधिकारी कौन था। चुनाव में 30-40 वोट फर्जी पड़ा था। यह बात उसके एजेन्ट ने उसके बताया था। उसने इसकी कोई शिकायत कही पर नहीं किया था। उसे यह नहीं मालूम कि चुनाव कौन करा रहा था। उसे यह नहीं मालूम है कि उसके किस मतदाता को डराया धमकाया गया। इस चुनाव में सबसे सब लोग जाति, धर्म के नाम पर वोट माँग रहे थे। वह भी जाति, धर्म के नाम पर सबसे वोट मांग रही थी। डाक से भी एक वोट आया था। उसे यह नहीं मालूम कि प्रारूप 36 ग क्या है। उसने अपने बयान में प्रारूप 36 ग के बारे में जो लिखा है, वह अपने पति के कहने से लिखा है। उसे नहीं मालूम कि वोटर लिस्ट की कुल कितनी सूची बनी थी। अपने बयान में उसने वोटर लिस्ट के अन्तिम सूची व पूरक सूची के बारे में जो लिखा है, वह सब अपने पति के बताने पर लिखा है। वह कुछ नहीं जानती, उसके पति ही सब जानते हैं। उसके द्वारा दाखिल बयान में जो भी बातें लिखी है, वह सब उसके पति के कहने पर लिखी गयी है और वही सब जानते हैं। चुनाव में उसे सिर्फ इतना मालूम है कि विनय ने उसके पति को वोट डालने नहीं दिया, इसी नाते उसने यह दावा दाखिल कर दिया। यह कहना गलत है कि वह झूठी गवाही दे रही है।

याचिनी की याचिका के विरूद्ध विपक्षी संख्या-1 की आपत्ति करते हुए वादिनी के उपरोक्त कथनों को बिल्कुल गलत एवं झूठ होना कहते हुए कथन किया गया कि उसके मतगणना अभिकर्ता द्वारा निर्वाचक नामवली के भाग सं०- 23 द्वारा निरस्त 16 मतदाता के मतपत्रो एवं भाग सं० 26 द्वारा निरस्त 21 मतदाताओ मे मत पत्रो कुल 37 अवैध मतो को मनमाने व विधि विरूद्ध ढंग से वैध मत मानकर गणना कर प्रश्नगत चुनाव के परिणाम को प्रभावित नहीं किया गया। विधिनुसार निर्मित निर्वाचक नामावली में अंकित मतदाताओं द्वारा डाले गये मत पत्रो की विधिनुरूप गणना करके प्रतिक्षेपित मत पत्रो को गणना कर उसे निकालकर विधि मान्य मतो की संख्या के अनुरूप गिनती करके परिणाम घोषित किया गया। विपक्षी तृतीय पक्ष द्वारा विधिनुसार गणना करके प्रारूप 36 ग तैयार किया गया और निष्पक्ष गणना की गयी। किसी अवैध मत को विपक्षी के मतो मे गणना नहीं की गयी थी और प्रतिक्षेपित मतो की संख्या 70 थी 68 नहीं थी। विपक्षी तृतीय पक्ष ने नियमानुसार निष्पक्ष मतगणना करके सर्वाधिक मत पाने के कारण उसे निर्वाचित घोषित किया। उसके द्वारा चुनाव में मतदान के लिए मतदाताओ को धर्म जाति सम्प्रदाय के आधार पर न तो प्रचार प्रसार किया ना ही उन पर अनुचित दबाव

बनाया और ना ही किसी मतदाता के साथ उत्पीड़न किया गया और ना ही क्षति पहुँचाने की धमकी दिया और ना ही मतदाताओ को मतदान के लिए रूपये दारू मीट वितरित किया बल्कि याचिनी ने ही चुनाव जाति धर्म सम्प्रदाय मतदाताओ से अपने पक्ष में मतदान करने की एवं दारू रूपया मीट बांटकर वोट लेने की पूरी कोशिश किया। याचिनी चुनाव मे अपनी हार को बर्दाश्त नहीं कर पा रही है जिसके उसके द्वारा यह चुनाव याचिका गलत कथनो के साथ दाखिल कर दिया है। चुनाव मतगणना मे किसी भी प्रकार की कोई धांधली व गलती नहीं किया गया है एवं पुर्नमतगणना की कोई आवश्यकता नहीं है।

पी०डब्लू-2 द्वारा अपनी प्रतिपरीक्षा में स्पष्टतः कहा गया है कि यह चुनाव याचिका पति पत्नी दोनों लोग बनवाने आये थे दो चार दिन पहले राय लिये थे। उसे याद नहीं है कि जिस दिन याचिका तैयार हुइ थी, उस दिन दाखिल हुआ था। याचिका दाखिला के दिन पति पत्नी दोनों थे। याचिका उसकी पत्नी ने दाखिल किया है। उसकी पत्नी वार्ड 12 से चुनाव लड़ी थी। वार्ड-12 की निर्वाचक नामावली 19.04.2023 को जारी हुई थी। उसकी नकल उसने नगर पंचायत से लिया था, जिसे उसने इस पत्रावली में दाखिल किया है। उसके एजेन्ट ने बताया कि जिनका नाम वोटर लिस्ट से कटा है, वह वोट दिये हैं। फिर कहा कि उसमें से कुछ लोगों ने वोट दिया। वह कुछ लोग का नाम भाग संख्या 26 में पवन कुमार, सीमा, मीरा, लल्लन्, सत्यवान, प्रदीप बालगोविन्द, सत्येन्द्र, मुन्नी, बृजेश, मनोज अशोक, रविन्द्र, परमिला रविन्द्र यादव, सुनीता प्रेमशीला निर्मला इन्द्रजीत इन लागों का नाम वोटर लिस्ट से काटा गया था। वोटर लिस्ट में नहीं था। उसका वह एजेन्ट जिसने उपरोक्त बात बतायी थी, उसका नाम रामदयाल उर्फ दीनदयाल है। उसकी पत्नी ने उक्त मतदान की शिकायती प्रार्थना-पत्र वहाँ उपस्थित अधिकारी को दिया था उसका नाम नहीं बता सकता। अधिकारी ने शिकायती प्रार्थना-पत्र को वापस कर दिया। वह शिकायती पत्र वह इधर उधर कर दिया। चुनाव में कुल 1834 मत पडा था। वोट पड जाने के कारण मैने मतदान की कोई शिकायत राज्य निर्वाचन आयोग या जिला निर्वाचन आयोग को नहीं किया। वह अपनी पत्नी की तरफ से चुनाव प्रचार किया था। उसकी पत्नी के चुनाव अभिकर्ता रामदयाल उसके बड़े पिताजी के लडके के लडके है, जो उसके भतीजे लगते है। प्रियन्का के पति जहाँ काम करता है वहाँ वह भी काम करता है, तथा बी०जे०पी० के नेता है। उसकी पत्नी जनता के इच्छा पर और अपनी इच्छा पर चुनाव लड गयी। उसे वोट डालने नहीं दिया गया। चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग और जिला निर्वाचन आयोग ने करवाया है। विपक्षी संख्याा 10 ता 12 ही मतदान करवाये और उन्होनें ही मतगणना करवाया था। वह यह नहीं बता सकता कि विपक्षी संख्या-10 ता 12 प्रियन्का सिंह के रिश्तेदार है कि नहीं। वार्ड नं०-12 में कुल तीन बूथ बना था। उन बूथो की संख्या 26, 27 व 28 थी। बूथ संख्या- 26 व 27 में जिन लोगों का नाम निर्वाचन नामावली से कटना बताया है उन लोगों ने वोट डाला था यह बात उसके एजेन्ट ने बतायी थी। दोनों बूथो पर अलग अलग एजेन्ट थे। बूथ नं०-26 पर रामदयाल व 27 पर श्रीराम एजेन्ट था। वह उपरोक्त लोगों को अपनी आंखों से वोट डालते हुए नहीं देखा था। अवैध मत पड़ने की शिकायत उसने अपने एजेन्ट के बताने पर की थी। वह पहुंचकर शिकायत

किया तब अवैध मत पड़ना बंद हुआ। उसकी व एजेन्ट की शिकायत मौखित थी कोई लिखित शिकायत नहीं था। मतगणना में कुल 68 अवैध वोट था। जो अवैध मत था उनमे किसी पर धब्बा किसी पर दो निशान थे। प्रारूप 36 उसके सामने नहीं बना था। विपक्षी संख्या-1 को विजयी घोषित किये जाने के कारण वह जाना की प्रारूप 36 ग गलत भेजा गया है। इस साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि उसे मुकदमें की जानकारी नहीं है और अपनी पत्नी के नाते गवाही दे रहा है।

पुनर्मतगणना के संबंध में विधि व्यवस्था **राम सेवक यादव बनाम हुसैन कामिल किदवई, ए०आई०आर० 1964 SC 1249, नारायणन बनाम सेम्मालाई (1980) 1 एस०सी०आर० 571** तथा **पी०के०के० शम्सुद्दीन बनाम के०ए०एम० मपिल्लई मोहिंदीन, (1989) 1 एस०सी०सी० 526** में प्रतिपादित सिद्धान्तों के आधार पर विधिक स्थिति यह है कि:-

> मतपत्रों की जाँच और मतों की पुनर्गणना के आदेश का औचित्य पीछे मुड़कर देखने और मतों की पुनर्गणना के परिणाम से नहीं निकाला जाना चाहिए। इसके विपरीत, मतों की पुनर्गणना के आदेश का औचित्य, मतों की पुनर्गणना के आदेश के वास्तविक रूप से जारी होने से पहले, चुनाव याचिकाकर्ता द्वारा प्रस्तुत सामग्री द्वारा प्रदान किया जाना चाहिए। इस हितकारी नियम का कारण यह है कि मतपत्र की गोपनीयता का संरक्षण एक पवित्र सिद्धांत है जिसे हल्के में या जल्दबाजी में नहीं तोड़ा जा सकता जब तक कि प्रथम दृष्टया इसकी वास्तविक आवश्यकता न हो। पराजित उम्मीदवार का चुनाव परिणाम की वैधता पर सवाल उठाने और मतों की पुनर्गणना की मांग करने का अधिकार इस बुनियादी सिद्धांत के अधीन होना चाहिए कि लोकतंत्र में मतपत्र की गोपनीयता पवित्र है और इसलिए जब तक प्रभावित उम्मीदवार साक्ष्य के माध्यम से स्वीकार्य सीमा तक यह आरोप लगाने और सिद्ध करने में सक्षम नहीं हो जाता है कि न्याय के हित में चुनाव न्यायाधिकरण द्वारा मतों की पुनर्गणना का आदेश दिए जाने की प्रथम दृष्टया उच्च स्तर की संभावना का मामला मौजूद है, न्यायाधिकरण या न्यायालय को मतों की पुनर्गणना का आदेश नहीं देना चाहिए।

यह भी सुस्थापित सिद्धान्त है कि न्यायालय मतपत्रों की पुनर्गणना का आदेश निम्न परिस्थितियों में दे सकता है- (1) जहां चुनाव याचिका में उन सभी तात्विक आरोपों के संबंध में अनियमितता एवं अवैधता के पर्याप्त साक्ष्य मौजूद हों। (2) प्रस्तुत किए गए साक्ष्य प्रथम दृष्टया अच्छा आधार प्रदान करते हैं कि मतगणना में त्रुटि हुई है। (3) याचिका सुनने वाला न्यायालय प्रथम दृष्टया संतुष्ट है कि पुनर्मतगणना का आदेश विवाद को तय करने एवं पक्षों के बीच पूर्ण एवं प्रभावी न्याय करने के लिए प्रभावी है। पुनर्मतगणना का आदेश तभी पारित किया जा सकता है, यदि चुनाव याचिका में सारवान तथ्यों का उचित कथन किया गया हो तथा तथ्य के पक्ष में इस प्रकार के साक्ष्य हों कि मतपत्रों को इस प्रकार प्रबंधित किया गया कि विजेता प्रत्याशी ने उन मतपत्रों को अपने पक्ष में गणना करा ली जो वास्तव में उसके पक्ष में नहीं पड़े थे।

उपलब्ध उपरोक्त साक्ष्य, माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रतिपादित उपरोक्त उल्लिखित न्याय निर्णयन, उत्तर प्रदेश नगरपालिका, अधिनियम, 1916 द्वारा प्रतिपादित प्रावधानों एवं उभयपक्षों के तर्कों के प्रकाश में पत्रावली के अवलोकन से विदित होता है कि:-

याचिनी की ओर से प्रारूप संख्या- 36 ग एवं 37 ग की ओर न्यायालय का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रारूप संख्या-37 ग पर प्रश्नगत चुनाव में विपक्षीगण 1 ता 9 को दिये गये मतों का जो विवरण प्रस्तुत कियाग या है उसमें याचिनी को कुल 296 मत एवं विपक्षी संख्या-1 को 297 मत प्राप्त होना दर्शित है और प्रारूप संख्या-36 ग में भी याचिनी को 296 मत एवं विपक्षी संख्या-1 को 297 मत प्राप्त होने का विवरण अंकित है। विपक्षी संख्या-8 को डाक से प्राप्त एक मत सहित कुल 227 मत प्राप्त होना दर्शित है। उपरोक्त तथ्यों पर बल देते हुए याचिनी की ओर से अग्रेतर तर्क दिया गया है कि उपरोक्त प्रारूपों पर मतों का विवरण दर्ज करते समय ओवर राइटिंग की गयी है और डाक से प्राप्त को दोनों प्रारूपों पर अलग अलग प्रत्याशियों के सम्मुख अंकित किया गया है। कुल मतों की संख्या में भी एक अंक का संशोधन करते हुए ओवर राइटिंग की गयी है। इस स्तर पर यह उल्लेखनीय है कि प्रारूप संख्या-36 ग एवं 37 ग में याचिनी एवं विपक्षी संख्या-1 को प्राप्त होने वाले मतों में किसी प्रकार की न तो ओवर राइटिंग है और न ही किसी प्रकार के बदलाव को याचिनी की ओर से दिखाया जा सका। डाक से प्राप्त मात्र एक मत न तो जीते हुए प्रत्याशी के पक्ष में गया है और न ही याचिनी के पक्ष में ही जाने के संबंध में कोई अभिकथन प्रस्तुत किया गया है। ऐसी स्थिति में डाक से प्राप्त मत के मतगणना में शामिल होने से याचिनी एवं विपक्षी संख्या-1 के चुनाव परिणाम पर कोई विपरीत प्रभाव नहीं पड़ता है।

विपक्षी संख्या-01 की ओर से सम्पूर्ण चुनाव प्रक्रिया नियमानुसार कराया जाना कहते हुए किसी भी प्रकार के रूपये, मदिरा, मीट इत्यादि से मतदाताओं को प्रभावित किये जाने से इंकार किया गया है और समर्थन में अपना साक्ष्य भी प्रस्तुत किया गया है। निर्वाचन अधिकारियों द्वारा पूरी सावधानी से मतगणना कराते हुए वैध मतों की उम्मीदवारों के एजेन्टों के समक्ष नियमानुसार गणना कराते हुए निष्पक्ष रूप से चुनाव परिणाम घोषित किये जाने की भी बात कही गयी है। मतदाता सूची के संबंध में न्यायालय के क्षेत्राधिकार नहीं होने का अभिकथन किया गया है। मतदान के उपरांत उम्मीदवारों एवं उनके एजेन्टों की ओर से उठायी गयी आपत्तियों का विधि अनुसार निस्तारण करते हुए पुनः मतगणना कराये जाने का भी साक्ष्य प्रस्तुत किया गया है। विपक्षी द्वारा स्पष्ट रूप से कहा गया है कि तीन बार पुर्नमतगणना करायी गयी थी, जिसका कोई खण्डन नहीं किया गया है।

याचिनी द्वारा अपने साक्ष्य में यह स्पष्ट किया गया है कि तीनों बूथों पर उसके एजेन्ट थे, जिनमें से एक एजेन्ट उसका पति भी था किन्तु वोट डाले जाने के दौरान अथवा मतगणना के समय किसी अधिकारी को आपत्ति हेतु दिये गये किसी प्रार्थना पत्र को न तो प्रस्तुत किया जा सका ओर न ही साबित किया जा सका। याचिनी स्वतः पढ़ी लिखी नहीं है। याचिनी द्वारा दाखिल दावा एवं विपक्षी की ओर

से दाखिल जबाव को अपने पति द्वारा पढ़कर सुनाया जाना कहा गया है। दावा बनवाने अपने पति के साथ आना और अपने पति की ओर से दावा दाखिल किया जाना कहा गया है। याचिनी द्वारा मतगणना को चुनौती दी गयी है न कि मतदान को। मतदाता सूची के कुछ लोगों के नाम काटे जाने के बात भी उसके पति द्वारा बतलाया जाना कहा गया है। श्रीराम यादव एवं दीन दयाल यादव को अपने एजेन्ट के रूप में बूथ पर होने की बात याचिनी द्वारा कही गयी है। उक्त दोनों एजेन्ट उसके जेठ के लड़का एवं देवर है। मतगणनास्थल पर अपने पति का होना कहा है एवं स्वयं को मतगणनास्थल पर नहीं होने की बात कही गयी है। मतगणना में उसके एजेन्ट द्वारा लिखित शिकायत की गयी थी या मौखिक रूप से की थी नहीं बता सकना कहा गया है। इस मुकदमे से वह चाहती है कि मतगणना हो फिर से वोट न डाले जाए। मतगणना इसलिए हो क्योंकि मौके पर जो लोग थे उसे हरा दिये। उसे किसने हराया उसे नहीं मालूम। उसने अपने सामने दारू, रूपया, मीट इत्यादि नहीं बाटा जाना कहा गया है। उसे उसके एजेन्ट द्वारा बताया जाना कहा गया है कि चुनाव में 30-40 वोट फर्जी पड़े थे। इसकी शिकायत उसने कही पर नहीं की थी। प्रारूप संख्या-36 ग के बारे में जो लिखा है वह अपने पति के कहने पर लिखा है। उसे नहीं मालूम की मतदाता सूची में कुल कितने सूची बनी थी। उसके द्वारा दाखिल बयान में जो भी बाते लिखी है वह सब उसके पति द्वारा लिखी गयी है और वह ही सब जानते है। चुनाव के बारे में उसे सिर्फ इतना बता है कि उसके पति को विनय ने वोट डालने नहीं दिया था इसलिए उसने यह दावा दाखिल किया है।

जहां तक निर्वाचन विभाग द्वारा 37 लोगों के वोट मतदाता सूची से कट जाने के बावजूद उक्त मतदाता द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने एवं उनके मत की गणना किये जाने संबंधी प्रश्न है तो इस संबंध में याचिनी के एजेन्ट की उपस्थिति में उक्त मतदाताओं द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाते समय आपत्ति किये जाने का कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। मतदाता का नाम मतदाता सूची से कट जाने अथवा मतदाता सूची में फेर बदल किये जाने संबंधी कार्यवाही का इस याचिका में विचार किया जाना क्षेत्राधिकार से बाहर है।

संशोधित मतदाता सूची में मतदाताओं का नाम न होने के बावजूद उनक द्वारा अपने मत का प्रयोग किये जाने के संबंध में प्रस्तुत किये गये किसी शिकायती प्रार्थना पत्र को न तो प्रस्तुत किया जा सका है और न ही उसकी प्रतिलिपि ही साक्ष्य हेतु प्रस्तुत की जा सकी है। मतदाता सूची से कटे हुए मतदाता द्वारा भी मतदान किये जाते समय याचिनी के एजेन्ट की उपस्थिति के बावजूद एजेन्ट द्वारा विरोध नहीं किया जाना मतगणना के उपरांत घोषित परिणाम से क्षुब्ध होकर किये गये विरोध के अतिरिक्त कुछ नहीं है। याचिनी की ओर से उसके पति के अतिरिक्त किसी एजेन्ट को परीक्षित नहीं किया गया है। किसी भ्रष्ट आचरण संबंध अभिकथन को भी याचिनी की ओर से अपने साक्षियों द्वारा साबित नहीं किया गया और न ही चुनाव में दारू, रूपया, मीट इत्यादि वितरित किये जाने संबंधी कोई साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराया जा सका।

मतों की गिनती याचिनी के एजेन्टों के सामने किये जाने के बावजूद उसके एजेन्टों द्वारा निर्वाचन अधिकारी से किसी प्रकार की आपत्ति प्रस्तुत किया जाना

साबित नहीं किया जा सका। ऐसी स्थिति में यह स्पष्ट है कि सम्पूर्ण याचिका कपोल कल्पित एवं एक वोट से हार जाने के उपरांत क्षोभवश प्रस्तुत की गयी है, जिसके आधार पर पुर्नमतगणना कराये जाने का कोई औचित्य नहीं है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या-1 याचिनी के विरूद्ध नकारात्मक रूप से निस्तारित किये जाने योग्य है।

निस्तारण वाद बिन्दु संख्या-6

यह वाद बिन्दु इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या याचिकाकर्ता किसी अन्य अनुतोष को प्राप्त करने का अधिकारी है ?

वाद बिन्दु संख्या-01 याचिनी के विरूद्ध निर्णित किए जाने के परिणामस्वरूप याचिनी कुसमावती अपनी चुनाव याचिका में मांगे गये किसी भी अनुतोष को प्राप्त करने की अधिकारी नहीं है। तद्नुसार वाद बिन्दु संख्या-6 निस्तारित किया जाता है।

वाद बिन्दु सं0-1 लगायत 6 पर दिये गये निष्कर्ष तथा पत्रावली पर उपलब्ध मौखिक व अभिलेखीय साक्ष्य के अवलोकन व परिशीलन से मामले के समस्त तथ्य एवं परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए याचिनी अपने मामले को साबित करने में असफल रही है। अतः मामले के तथ्यों एवं परिस्थितियों में याचिनी कुसमावती देवी की ओर से प्रस्तुत की गयी चुनाव याचिका निरस्त होने योग्य है। वाद व्यय पक्षकारों द्वारा वहन किया जाएगा।

आदेश

याचिनी कुसमावती देवी द्वारा प्रस्तुत उपरोक्त चुनाव याचिका संख्या 08/2023 निरस्त की जाती है। रिटर्निंग आफिसर/उपजिलाधिकारी, गोरखपुर द्वारा पारित आदेश दिनांकित 13.05.2023 की पुष्टि की जाती है।

पत्रावली नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

दिनांक 28.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

निर्णय आज खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित, दिनांकित एवं उद्घोषित किया गया।

दिनांक 28.03.2026

(उमेश चन्द्र पाण्डेय-II)
अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर।
JO. Code- UP 6066

अपर जनपद न्यायाधीश कोर्ट संख्या-01,
गोरखपुर

Digitally signed by UMESH CHANDRA PANDEY
Date: 2026.03.28 16:46:20 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court